

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक
एवं निदेशक (वित्त)

श्री एस गिरिष कुमार

निदेशकगण

श्री मंजित कुमार
श्री जी आर सुन्दर वडिवेल
(नामिति निदेशक – यू टी आई ए एम सी
प्राइवेट लिमिटेड)
श्रीमती मीरा सकसेना आई ए एस (सेवा निवृत्ति)

कंपनी सचिव

श्री एस बी रवीन्द्र (31.3.2015 तक)
वरिष्ठ प्रबन्धक वित्त एवं
प्रभारी कंपनी सचिव

सहायक कंपनी सचिव

श्रीमती आर उषा कुमारी (18.3.2015 से)

लेखा परीक्षकगण

मेसर्स ए जान मोरीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार, चेन्नै

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इण्डिया
इण्डियन ओवरसीज बैंक
सिंडिकेट बैंक
स्टेट बैंक आफ पटियाला
स्टेट बैंक आफ द्रावनकुर
इण्डियन बैंक
कैनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय

इन्दु नगर
उटकमण्ड
तमिलनाडु -643 005

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुयु क लि.,

शेयरधारियों को नोटिस

टेलिग्राम : फोटो फिल्म
टेलिफोन : 0423 -2444020 - 2444025
फैक्स : 0423- 2442556

पंजीकृत कार्यालय
इन्दु नगर
उटकमण्ड - 643 005

26.8.2015

नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुयुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के शेयरधारियों की चौवनवीं सामान्य वार्षिक बैठक, होटल अलंकार गेंड, कोयम्बटूर में 16 सितंबर 2015 को 10.00 बजे निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए होगी।

सामान्य कारोबार

- 1) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और कंपनी के लेखा पर विचार विमर्श करना तथा उनका अंगीकार करना।
- 2) 2015-16 साल के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

(आदेशानुसार)

(आर उषा कुमारी)
सहायक कंपनी सचिव

सेवा में : सभी सदस्य

प्रतिलिपि : मेसर्स जॉन मोरीस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
सं 17/9, लक्ष्मीपुरम प्रधान रोड,
लाइडस रोड, रायपेट्टै
चेन्नै 600 014

नोट : बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए योग्य शेयरधारी अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और उस प्रॉक्सी का सदस्य होना जरूरी नहीं है।

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय शेयरधारियों,

आपके निदेशकगण चौवनवी वार्षिक रिपोर्ट में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा सहित कंपनी के कार्यशील पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणियों को सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ।

शेयर पूंजी

31.03.2015 के अनुसार प्रदत्त एवं प्राधिकृत पूंजी 206.87 करोड़ रुपये और 210 करोड़ रुपये थे ।

आवधिक जमा

रिपोर्ट के अधीन इस वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई जमा प्राप्त नहीं किया ।

निगमित निष्पादन

पिछले दस वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े नीचे संक्षेप में दिए गए हैं ।

10 years table –

(पिछले दस वर्षों के लिए वित्तीय आंकड़े)

pl. refer last page

निगमित परिणाम

उत्पादन

मई 2013 से पॉलिएस्टर एक्स-रे प्लांट और अनुसंधान एवं विकास में बिजली कनेक्शन काट करने और कच्चे माल खरीदने के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण कंपनी के संचालन में ठहराव आ गए हैं । बिजली टी एन ई बी द्वारा काट दिया गया था क्योंकि कंपनी के धन की अनुपलब्धता की वजह से ईबी बिलों का भुगतान नहीं किया ।

पूर्ण बिक्री व हानि

पिछले वर्ष की 1820.42 करोड़ रुपये की निवल हानि की तुलना में इस वर्ष कंपनी को प्रचालनों के परिणामस्वरूप 2162.77 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई । गत साल के 16.69 करोड़ रु के बनाम कर पूर्व ब्याज और पूर्व समायोजनाओं से कंपनी ने इस साल के दौरान 55.51 करोड़ रु की नकद हानि पहुँची है ।

समझौता ज्ञापन 2014-15

वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई थी।

गुण आश्वासन

इस अवधि के दौरान आने वाले कच्चे माल की जाँच की और मंजूरी दे दी । गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पीने के पानी, इलाज पानी, प्रक्रिया पानी और प्रक्रिया कच्चे इलाज पानी के नमूनों नियमित रूप से परीक्षण किया । प्रवाह के उपचार मानदंडों के अनुसार बाहर किया गया । गुणवत्ता आश्वासन विभाग की गतिविधियों गैर-उत्पादन गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित किया गया है ।

अनुसंधान एवं विकास और गुण नियंत्रण

उत्पादन न होने के कारण गतिविधियाँ नहीं किया जा सकता

कार्मिक

31 मार्च 2015 के अनुसार कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या 348 थी । कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था ।

अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व : 74 (21.26%)

अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व : 19 (5.45%)

कंपनी ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के आरक्षण नीति के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों का लगातार पालन जारी रखा है।

31 मार्च 2015 के अनुसार कंपनी में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 4 थी जो कुल कर्मचारियों की संख्या के 1.14 % का प्रतिनिधित्व करता है । 31 मार्च 2015 के अनुसार विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 10 थी, जिसमें 5 शारीरिक रूप से अक्षम तथा 5 मूक तथा बधिर थे । साल के दौरान 286 कर्मचारियों को वीआरएस पर मुक्त किया गया है

औद्योगिक संपर्क

औद्योगिक संपर्क बहुत सौहार्दपूर्ण रहे। औद्योगिक संपर्क समिति के जरिए प्रबन्ध मण्डल और ट्रेड संघों के प्रतिनिधि समय समय पर विभिन्न औद्योगिक समस्याओं को निपटाने के लिए मिले और बातचीत की।

पर्यावरण

सांविधिक नियमों और विनियमों के अनुसार कंपनी ने परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम किये।

बीमा

कंपनी की परिसंपत्तियाँ सामान्यतः बीमाकृत की गई है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

कंपनी ने राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय समय पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदेशों के अनुपालन के लिए लगातार प्रभारी कदम उठाए हैं।

सहायक उद्योगों का विकास

आलोच्य वर्ष के दौरान, सहायक और लघु उद्योग इकाइयों से उत्पादन आवश्यकताओं के लिए

सामग्री की खरीद शून्य था।

राजकोष को अंशदान

समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी ने केन्द्र और राज्य सरकारों को बिक्री कर, चुंगी, सीमाशुल्क आदि के रूप का भुगतान शून्य है।

सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता विभाग ने संगठन के अंदर सख्त सतर्क जारी रखा है। सतर्कता विभाग विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जांच, आकस्मिक निरीक्षणों के आयोजन और व्यवहारों के निरीक्षण विवरण आदि कार्यकलाप में लगा हुआ है। सतर्कता प्रशासन और पारदर्शिका के सुनिश्चित सुधार के लिए, सभी खुले सीमित टेंडर कंपनी के वेबसाइट पर दर्शाए गए हैं। सी वी सी मार्गदर्शनों के अनुसार क्वे मैनुअल अपडेट किया गया है। आवश्यक कदम उठाने के लिए, पद्धतियों एवं रीतियों के संबंध में उत्पन्न कमियों को सूचित किया गया। संगठनों के संव्यवहारों में, अधिक पारदर्शिका लाने के लिए ट्रेड प्रतिनिधियों के सामने टेंडर खोलने का अभ्यास शुरू किया गया है। 27.10.2014 से 01.11.2014 तक उचित रूप से सतर्कता अभिज्ञाता सप्ताह मनाया गया था। 31 मार्च 2015 के अनुसार 286 कर्मचारियों को सतर्कता मंजूरी दिए गए।

आर टी आई अधिनियम

कंपनी ने आर टी आई अधिनियम 2005 के प्रावधान कार्यान्वित किए हैं और निम्नलिखित अधिकारियों को नामांकित किया है।

जन सूचना अधिकारी : श्री ए बी कुमार (31.3.2015 तक)
वरिष्ठ प्रबंधक, विपणन
श्रीमती आर उषा कुमारी
(1.4.2015 से)
सहायक कंपनी सचिव
सहायक जन सूचना अधिकारी : श्रीमती आर उषा कुमारी
(31.3.2015 तक)
सहायक कंपनी सचिव
अपील प्राधिकरण : श्री के सेल्वरॉज
(31.3.2015 तक)
महा प्रबंधक – कार्य
श्री ए रमेश (1.4.2015 से)
उप प्रबंधक वित्त

2014-15 साल के दौरान आर टी आई के अधीन प्राप्त सभी आवेदन और प्रथम प्राधिकरणोंका जवाब दिया गया।

कर्मचारियों के ब्योरे

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के साथ पढ़े गये, (कर्मचारियों का ब्योरा) नियम 1975 के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का भाग बननेवाली सूचना - शून्य

निदेशकगण

श्री गिरिष कुमार, प्रबन्ध निदेशक एच एम टी आई और अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक प्रभारी, एच एम टी, बैंगलोर, एच पी एफ के निदेशक (वित्त), और अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार जारी भी है।

लेखा परीक्षा समिति

31.3.2015 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं।

श्रीमती मीरा सकसेना : स्वाधीन निदेशक : अध्यक्ष

श्री मंजीत कुमार : निदेशक : सदस्य

श्री जी आर सुन्दरवडिवेल : नामिति निदेशक : सदस्य

निदेशकगणों की जिम्मेदारी विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134 (3) (ग) के आवश्यकता अनुसार निदेशकों की जिम्मेदारी बयान वित्तीय बयान आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार कर रहे हैं

1) वार्षिक लेखों की तैयारी में, वही लेखों के संबंध में, उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रयोज्य लेखा स्तरों का पालन किया गया है।

2)निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियाँ चुनकर स्थिरता से लागू की है जो 31मार्च 2015 के अंत में कंपनी की सत्य और उचित परिस्थिति और उस अवधि में कंपनी के लाभ व हानि का दृश्य देते हैं।

3) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कपट व अन्य नियमितताओं के निवारण और अन्वेषण के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव पर उचित ध्यान दिया है।

4) निदेशकों ने अनन्त काल के आधार पर वार्षिक लेखों की तैयारी की है।

लेखापरीक्षकगण

मेसर्स ए जॉन मोरीस एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, बैंगलोर,ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों के रूप में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

निगमित शासन

स्टॉक विनिमय के लिस्टिंग करार खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुपालन में निम्नलिखित रिपोर्ट अनुबंधित किये जाते हैं।

- प्रबन्ध मण्डल के विचार-विमर्श व विश्लेषण रिपोर्ट
- निगमित शासन पर रिपोर्ट
- निगमित शासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

बी आई एफ आर/ए ए आई एफ आर / पुनर्जीवन के सामने कंपनी की दशा

कंपनी ने दि 14.10.1995 को बीमारी औद्योगिक कंपनियों का अधिनियम 1985 के प्रावधानों एवं शर्तों के अनुसार, बी आई एफ आर को संदर्भित किया गया है। बी आई एफ आर ने एस आई सी ए के समदिनांकित आदेश 30.01.2003 को, धारा 20(1) के अधीन कंपनी को बंद करने के लिए अपना अभिप्राय पुष्टि किया। कंपनी को बंध करने के लिए पुष्टि किये गये बी आई एफ आर का अभिप्राय के बनाम, कंपनी से अपील किये गये ए ए आई एफ आर ने, बी आई एफ आर के आदेश को खारीज़ कर दिया। कंपनी ने दि 27.06.2005 को, ए ए आई एफ आर के आदेशों के सं 2005 के 21816 के बनाम मद्रास उच्च न्यायालय में एक स्टे प्राप्त किया गया है।

अक्टूबर 2009 के दौरान मामला सुनवाई के लिए आयी और मद्रास उच्च न्यायालय ने कंपनी के पुनर्जीवन के दशा के संबंध में आठ सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का अनुदान किया है। मेसर्स एर्नस्ट एण्ड यंग परामशीदाताओं के रिपोर्टों के आधार पर पुनर्जीवन प्रस्ताव /कारोबार योजना एक अंतर विभागीय समिति के द्वारा भा

उ वि से विचार विमर्श किये गये एवं अनुमोदन के लिए बी आर पी एस ई को सिफारिश की है।

बी आर पी एस ई ने लंबित आदेशों को सामने करने के लिए फरवरी 2009 में कार्यशील पूंजी की ओर 30 करोड़ रुपये मुक्त करने के लिए सिफारिश की और राशि फ़रवरी 2010 के दौरान प्राप्त किया गया था। बी आर पी एस ई ने 5.3.2010 को हुई पाँचवी बैठक में, एच पी एफ के पुनःसंरचना प्रस्ताव को अंतिम रूप से सिफारिश की और भा उ वि से यथा शीघ्र सरकार से संस्वीकृत प्राप्त करने का सलाह दिया।

भा उ वि एक सी सी ई ए नोट परिचालन किया गया और उनकी सिफारिशें विचार विमर्श के लिए संसद को प्रस्तुत किया गया। संसद सचिवालय ने सचिवालयों के समिति की अभिप्रायों के लिए संदर्भित किया है। सचिवों के समीक्षा करने के बाद, प्रस्ताव मंत्रि मण्डल के अनुमोदन के लिए सिफारिश की। 23.08.2012 को हुई मंत्रि मण्डल के बैठक में प्रस्ताव वापस लिया गया।

इस बीच ,जून 2013 के दौरान, आयोजित बी आर बी एस ई समीक्षा बैठक में बी आर पी एस ई ने मनाया कि कंपनी के पुनरुद्धार प्रस्ताव व्यवहार नहीं है और सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक पर बढ़ाया स्वे से नि और न्यायालय के निर्णय करने के लिए कंपनी का उल्लेख सिफारिश की।। बाद में भा उ वि विचार के लिए सी सी ई ए के लिए ऊपर पर एक प्रस्ताव ले जाया गया है। सी सी ई ए सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक में वी आर एस के कार्यान्वयन की दिशा में 181.54 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की और बी आर पी एस ई की सिफारिशों के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जनवरी 2015 से कंपनी में 2007 काल्पनिक पैमाने पर वी आर एस पुरःस्थापित किया गया है और 31.3.2015 के अनुसार 286 कर्मचारियों को वी आर एस पर मुक्त किया गया है

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न विभागों विशेषकर भारी उद्योग विभाग, बैंकर्स एवं महत्वपूर्ण ग्राहकों से प्राप्त सहयोग और समर्थन को कृतज्ञतापूर्वक याद करना चाहते हैं। आपकी कंपनी कर्मचारियों के बहुमूल्य सेवाओं की कृतज्ञतापूर्वक प्रशंसा करती है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

एस गिरिष कुमार
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

प्रबन्ध मण्डल के विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग बनावट और विकास

भारतीय बाजार में फोटोग्राफिक उत्पाद बहुराक जैसे कोडक, फ्यूजी, कोनिका, आग्फा आदि के भारतीय फ्रंट कंपनियों (आईएफसी) से नियंत्रित हैं जो फोटोग्राफिक उत्पादों के आयातित कोटेड वाइड स्टॉक के कन्वर्शन के कार्य में लगे हुए हैं। चीन के लक्की फिल्म निगम के उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध हैं। सिर्फ एच पी एफ कंपनी ही लगभग 700 करोड़ रुपये सरकारी निवेश के साथ एकीकृत विनिर्माण सुविधा रखी है।

भारत में फोटोग्राफिक उत्पादों का बाजार रंगीन उत्पादों सहित 1663 करोड़ रुपये का है और इसका वार्षिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत है। एच पी एफ में विनिर्माणित कॉले व श्वेत उत्पादों के लिए लगभग 412 करोड़ रुपये का बाजार है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, उपभोक्ता इमेजिंग के सीगमेंट के क्षेत्र में, डिजिटल उत्पादों के शेयर की प्राथमिकता है। पर हेल्थ सेक्टर में, डिजिटलाइजेशन के कदम स्थिर नहीं हुए हैं। परिणामस्वरूप कन्वेंशनल हेल्थ इमेजिंग उत्पादों के लगातार माँग को पूरा करने में एच पी एफ का मुख्य स्थान है। सरकारी क्षेत्र के 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता में एच पी एफ का मजबूत उपस्थिति है। कंपनी, बिक्री कीमत को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मई 2013 से पॉलिएस्टर एक्स-रे प्लांट और अनुसंधान एवं विकास में बिजली कनेक्शन काट करने और कच्चे माल खरीदने के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण इस समय कंपनी के संचालन में ठहराव आ गए हैं। बी आर पी एस ई की सिफारिश के आधार पर सी सी ईए सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक में वी आर एस के कार्यान्वयन की दिशा में 181.54 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की और कंपनी को बंद करने के लिए और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जनवरी 2015 से कंपनी में 2007 काल्पनिक पैमाने पर वी आर एस पुनःस्थापित किया गया है और 31.3.2015 के अनुसार 286 कर्मचारियों को वी आर एस पर मुक्त किया गया है

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ

कंपनी ने अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली रखी है। इसे आंतरिक लेखा परीक्षकों के द्वारा आयोजित आवधिक लेखा परीक्षाओं से परिशिष्ट कराया जाता है। मेसर्स कार्तिकेयन एण्ड जयराम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स वर्ष 2014-15 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नियत कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। लेखा परीक्षा समिति नियमित रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करता है।

प्रचालकीय निष्पादन के संबंध में, वित्तीय निष्पादन पर विचार-विमर्श

प्रचालकीय निष्पादन

कंपनी पिछले कई सालों से सख्त कार्यशील पूंजी की कमी का सामना कर रही है और परिणामस्वरूप उसकी क्षमता का उपयोगीकरण कम रहा है। 2014-15 साल के दौरान भी, कंपनी सीमित स्रोतों के साथ प्रचालन योजना बनाने के लिए विवश थी कारण कार्यशील पूंजी की कमी, पॉलिएस्टर एक्स-रे प्लांट में बिजली की अनुपलब्धता जो पिछले वर्षों के दौरान उत्पादन गतिविधियों का मुख्य स्रोत है।

वित्तीय परिणाम

कंपनी की लगातार बीमारी के कारण, कंपनी की वित्तीय दशाओं में कोई मुख्य परिवर्तन नहीं हो सका लगातार ब्याज और मूल्यह्रास निवल हानि में मुख्य अंग है। कंपनी अपनी देय राशियों के एक मुश्त भुगतान और अपनी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा वित्तीय पुनःसंरचना की ओर अग्रगण्य कर रही है, जो अन्यथा पूंजीकृत के ऊपर है। ब्याज एवं पूर्ववधि समायोजनों के पूर्व नकद हानि लगभग 55.51 करोड़ रुपये है।

संचित हानियों का प्रमुख भाग, संचित ब्याज एवं अमाननीय मूल्यह्रास है। इनके कारण कंपनी का निवल मूल्य अब तक नेगटिव पर है।

मानव संसाधन/औद्योगिक संपर्क में प्रमुख विकास

जनवरी 2015 से कंपनी में 2007 काल्पनिक पैमाने पर वी आर एस पुरःस्थापित किया गया है और 31.3.2015 के अनुसार 286 कर्मचारियों को वी आर एस पर मुक्त किया गया है ।

भविष्य की दृष्टिकोण

कंपनी की भविष्य की संभावना सरकार के निर्णय पर निर्भर है ।

एस गिरिष कुमार
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

निगमित शासन पर रिपोर्ट

शासन संहिता पर कंपनी का तत्व

एच पी एफ स्टेक होल्डर्स के ट्रस्टीस के रूप में एवं स्वच्छ और खुले शासन देने की अपनी जिम्मेदारियों को समझती है । इसे स्टॉक विनिमय की लिस्टिंग करार खंड 49की अपेक्षाओं के पालन द्वारा सशक्त किया गया है ।

I. निदेशकगण मण्डल :

क) बनावट

31 मार्च 2015 के अनुसार कंपनी की बोर्ड निम्न प्रकार थी ।

निदेशकगण के नाम (सर्वश्री)	पदनाम	कार्यपालक/ गैर कार्यपालक	श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशकता की संख्या	अन्य कंपनियों में रखी समिति की पदों की संख्या
एस गिरिष कुमार	अ एव प्र नि एवं निदेशक (वित्त)	कार्यपालक	अधिकारी	1	--
एस के गोयल	निदेशक	गैरकार्यपालक	अंशकालिक सरकारी निदेशक	1	2
मंजीत कुमार	निदेशक	गैरकार्यपालक	अंशकालिक सरकारी निदेशक	1	2
जी आर सुन्दरवडिवेल	नामिति निदेशक	गैर कार्यपालक	नामिति निदेशक (यू टी आई ए एम सी)	2	6
मीरा सकसेना आई ए एस (निवृत्ति)	स्वाधीन निदेशक	गैर कार्यपालक	स्वदेशी निदेशक	-	-

- एस के गोयल के स्थान में , 4.8.2014 से श्री मंजीत कुमार, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था ।
- कंपनी के कोई निदेशकगण कंपनी के अन्य निदेशकों से संबंधित नहीं है ।
- कंपनी के कोई निदेशकगण कंपनी के किसी कारोबार के साथ संबंधित नहीं है ।

ख) निदेशकों की हजरि

2014-15 साल के दौरान, बोर्ड की 5 बैठकें हुईं । साल के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों एवं वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नप्रकार रही ।

निदेशकों के नाम (सर्वश्री)	हुई बोर्ड बैठकों की संख्या	समय के दौरान हुई बोर्ड बैठकों की सं	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	ए जी एम में भाग
एस गिरिष कुमार	5 बैठकें हुईं 18.6.2014, 28.8.2014, 11.12.2014 11.2.2015 और 17.3.2015	5	5	हैं
मंजीत कुमार		5	4	नहीं
एस के गोयल		1	1	नहीं
जी आर सुन्दरवडिवेल		5	4	नहीं
मीरा सकसेना आई ए एस (निवृत्ति)		5	4	नहीं

ग) गैर - कार्यपालक निदेशकों की प्रतिपूर्ति और प्रकटने :

कंपनी के संपूर्ण अवधि के निदेशकगण भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है । नामिति निदेशकों को उनके द्वारा भाग लिए मण्डल के प्रति बैठक के लिए 600/- रु शुल्क और प्रति उप समिति बैठक के लिए 300/- रु दिए जा रहे हैं ।

घ) बोर्ड के कार्यविधि :

बोर्ड की बैठकें प्रति तिमाही में होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर, अधिक बार होती हैं जिसमें मंत्रिमण्डल मुख्य रूप से स्टेटजी बनाने, नीति व नियंत्रण, कंपनी की निष्पादन समीक्षा, तिमाही परिणाम, वार्षिक लेखा, वार्षिक प्रचालकीय योजना और सांविधिक अपेक्षित मामलों के लिए विचार विमर्श पर ध्यान देती है । यथावश्यक समय में, सर्कुलेशन के द्वारा संकल्प जारी किये जाते हैं एवं बोर्ड की अगली बैठक में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है ।

बैठकों के लिए कार्यसूची असप्रनि के साथ परामर्श करके प्रभारी कंपनी सचिव / सहायक कंपनी सचिव द्वारा तैयार किया जाता है और पूर्व ही निदेशकों को बोर्ड के कागज सर्कुलेट किए जाते हैं । जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालकों को बोर्ड बैठकों में भाग लेने और स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है । कंपनी की बोर्ड बैठक में विचार विमर्श करने में, अंशकालिक निदेशकों का हाथ प्रधान है जो व्यापित विभिन्न क्षेत्रों में निपुण हैं । बैठकों की कार्यवृत्ति को रिकार्ड करने की उचित प्रणाली है और उन परकायवाही भी होती है ।

ड) आचरण संहिता

बोर्ड के निदेशकगण और कंपनी के वरिष्ठ प्रबन्ध मण्डल के कर्मिकों के लिए एक आचरण संहिता बनायी गयी है । उक्त आचरण संहिता कंपनी के वेब साइट 'एचपीएफ-इण्डिया.कॉम' पर उपलब्ध है । 31.03.2015 समाप्त वर्ष के लिए, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्ध मण्डल के कर्मिकों ने आचरण संहिता का अनुपालन प्रमाणित किया है ।

II. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी में, कंपनी अधिनियम 2013 धारा 177 के साथ लिस्टिंग करार के खंड 49 के अनुसार एक लेखा परीक्षा समिति बनायी गयी है ।

क) बनावट

साल के दौरान लेखा परीक्षा समिति के विवरण निम्नप्रकार थे :

- लेखा परीक्षा समिति में एक सरकारी निदेशक , एक स्वाधीन निदेशक , एक नामिति निदेशक सहित तीन सदस्य हैं ।
- कोई निदेशक कंपनी में कोई अन्य रुचि नहीं रखते ।
- लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्यगण हिसाब-किताब में शिक्षित हैं और श्री जी आर सुन्दरवडिवेल, अपेक्षित आय-व्यय देखने में निपुण हैं ।
- निदेशक (वित्त) वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखा परीक्षकगण की आवश्यकता जब होती है तब उन्हें लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने का निमंत्रण दिया जाता है ।
- प्रभारी कंपनी सचिव / सहायक कंपनी सचिव इस समिति की यथा सचिव के रूप में हैं ।

ख) लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

2014-15 साल के दौरान, 3 लेखा परीक्षा समिति की बैठकें हुई थी । साल के दौरान हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकगणों की हाजिरी निम्नप्रकार थी ।

निदेशकों का नाम (सर्वश्री)	हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	समय के दौरान हुई लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	भाग लिए गये लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या
मीरा सक्सेना	3 बैठकें हुई	3	3
जी आर सुन्दरवडिवेल	28.8.2014,	3	2
मजित कुमार	11.2.2015 और 17.3.2015	3	3

ग) लेखा परीक्षा समिति के अधिकार

लेखा परीक्षा समिति को लिस्टिंग करार स्टॉक विनिमय सहित खंड 49 के अधीन विनिर्दिष्ट के अनुसार अधिकार प्राप्त है ।

घ) लेखा परीक्षा समिति का कर्तव्य

लेखा परीक्षा समिति के कर्तव्य खण्ड 49 के अधीन विनिर्दिष्ट आधार पर है ।

ड) लेखा परीक्षा समिति से सुचना के पुनरीक्षण

लेखा परीक्षा समिति, लिस्टिंग करार खण्ड 49 के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा और अन्य मामलों के अनुरूप कंपनी के वित्तीय विवरणों को आवधिक रूप से पुनरीक्षण करती है ।

III. शेयरधारियों / निवेशकों की शिकायत समिति

शेयरधारियों / निवेशकों की शिकायतों को सुलझाने के लिए सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों सहित शेयरधारियों / निवेशकों की शिकायत समिति बनायी गयी है । प्रभारी कंपनी सचिव, समिति की अनुपालन अधिकारी हैं । साल के दौरान शेयरधारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

IV. शेयर स्थानांतरण समिति

शेयर स्थानांतरण के कार्यकलाप, कंपनी के अ सह प्र नि एवं दो अधिकारियों सहित एक समिति को सौंपा गया है । आज की तारीख पर कोई शेयर स्थानांतरण शेष नहीं है । 31.03.2015 के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत की शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है और बाकी 10 प्रतिशत शेयर ही अन्यो के पास है । केवल, राष्ट्रपति के नामितियों के बीच में ही शेयर स्थानांतरण हो रहा है ।

V. आनुषंगिक कंपनियों

कंपनी की कोई आनुषंगिक कंपनियाँ नहीं है ।

VI. सामान्य बैठकें

पिछले तीन सालों के दौरान हुई सामान्य बैठकों का स्थान व समय :

बैठक की प्रकृति	तारीख व समय	विशेष संकल्पों की जारी	स्थान
51 ए जी एम	27-02-2013 – 1145 घंटे	--	इन्दु नगर उटकमण्ड
52 ए जी एम	28.3.2014 – 1530 घंटे	--	होटल जी आर टी
31 ई जी एम	28.3.2014 - 1600 घंटे	1	ग्रांड, चेन्नै
53 ए जी एम	30.9.2014 - 1530 घंटे	--	एच एम टी भवन बंगलूर

पिछले साल पोस्टल बेल्लट के द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया । जब आवश्यकता पड़ेगी, पोस्टल बेल्लट कार्यान्वित की जाएगी ।

VII. प्रकटने

क) पार्टी व्यवहार संबंधित आधार - शून्य

2014-15 साल के दौरान, कंपनी ने अपने प्रोमोटर्स, निदेशकगण या प्रबन्ध मण्डल, उनके आनुषंगिक या रिश्तेदारों आदि के साथ किसी प्रकार के कारोबार में प्रविष्ट नहीं किया है जो कंपनी के संभावित साधन के विरुद्ध हों । संबंधित पार्टियों के साथ कोई वैयक्तिक कारोबार भी नहीं हुए हैं ।

ख) लेखाकरण प्रबन्ध के प्रकटन

साल के दौरान लेखाकरण स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं ।

ग) जोखिम प्रबन्ध पर बोर्ड को प्रकटन

कंपनी ने जोखिम निर्धारण और अल्पीकरण पद्धतियों के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने की कार्याविधि बनायी है ।

घ) सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम एवं उत्तम निर्गम से कार्यवाही

2014-15 साल के दौरान कंपनी पर कोई सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम एवं उत्तम निर्गम जारी नहीं किया गया ।

ड) गैरपालक निदेशकगण / निदेशकगण की पारिश्रमिक

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने गैर कार्यपालक निदेशकों ने कंपनी से कोई धन संबंधी व्यवहार नहीं किया ।

- कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और उन्हें नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है । अतः कंपनी ने पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है । निदेशकों द्वारा भाग लिए मण्डल के प्रति बैठक के लिए 600 रुपये शुल्क और प्रति उप समिति बैठक के लिए 300 रुपये दिए जाते हैं ।
- साल के दौरान, बोर्ड / लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, नामित निदेशक को बैठक शुल्क 6300 रुपये दिया गया ।
- भारत के राष्ट्रपति के नामित के रूप में प्रति भा उ वि के प्रतिनिधि निदेशकों और कार्यालयीन निदेशकों ने अपनी अवधि में, कंपनी में, 100 ईक्विटी शेयर रखे थे । कंपनी के निदेशकों ने अपनी अन्य कंपनियों के शेयर होल्डिंग का भी प्रकटन किया है ।

च) प्रबन्ध मण्डल

प्रबन्ध मण्डल का विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट अलग से वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है ।

छ) निगमित शासन पर रिपोर्ट

विनिमय को प्रस्तुत की गयी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट उन स्टॉक विनिमयों को भेजते हैं जहाँ कंपनी के ईक्विटी शेयर लिस्टेड हैं ।

ज) सी ई ओ और सी एफ ओ का प्रमाणिकरण

निदेशक (वित्त) और प्रभारी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कंपनी के बोर्ड के निदेशकों को प्रमाणित करते हैं कि :

क) उसने अपने उच्चतम ज्ञान और विश्वास के साथ साल के वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है कि :

- i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण नहीं है और न ही किसी मुख्य विषय को छोड़ा गया है। इनमें भटकाते विवरण भी शामिल नहीं है ।
- ii) ये विवरण कंपनी के कारोबार का सही और वास्तविक प्रस्तुतीकरण है और वर्तमान में लागू कानून और विनिमय लेखाकरण स्तरों के अनुपालन में है ।

ख) अपने उच्चतम ज्ञान एवं विश्वास के साथ सूचना देते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी कारोबार में प्रविष्ट नहीं किया है जो कंपनी के आचरण संहिता के बनाम कपटी, गैरकानूनी या उल्लंघन हैं ।

ग) उन्होंने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों के स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदारी ली है और कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधित आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों को प्रभावी रूप से मूल्यांकित किया है एवं उन्होंने आंतरिक पद्धतियों के डिजाइन एवं प्रचालन में पाई कमियों को लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति को प्रकटन किया है ताकि वे उसे पहचानें और उन कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम ले या प्रस्ताव दें ।

घ) उसने लेखा परीक्षकगण तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्न संकेत किया है :

- i) साल के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के द्वारा लाए महत्वपूर्ण परिवर्तन ।
- ii) साल के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसे वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटन किया है और
- iii) ऐसे धोखे की घटनाएँ जिनका पता चला और जहाँ किसी प्रबन्ध मण्डल के सदस्य या कर्मचारी का हाथ है जिसका वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का प्रमुख भाग है ।

VIII. पत्र व्यवहार का आशय :

लिस्टिंग करार के खंड 41की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारियों को सूचित करती है, बोर्ड के निदेशकगणों से अनुमोदित तिमाही परिणाम, स्टॉक विनिमय को आख्यापन किये जाते हैं ।

IX. सामान्य शेयरधारी सूचना :

ए जी एम	: होटल अलंकार गेंड, कोयम्बटूर
वित्तीय कैलेण्डर	: 1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2016
2012-13 वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने की बोर्ड बैठक	: जून 2015
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षित किये लेखों का प्रस्तुतीकरण	: जून 2015
विचार विमर्श के लिए मण्डल की बैठक :	
पहली तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम :	: अक्टूबर 2015
दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम:	: दिसंबर 2015
तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम	: फरवरी 2016

हिसाब किताब समाप्ति की तारीख

: ए जी एम के 7 दिनों के पूर्व

लाभान्श भुगतान तारीख

: कंपनी की हानियों की वजह से लागू नहीं।

स्टॉक विनिमय पर लिस्टिंग :

कंपनी के शेयर, मद्रास व मुम्बई स्टॉक विनिमयों पर लिस्ट की गयी है। इसके बाण्डस मद्रास, मुम्बई और कोलकत्ता स्टॉक विनिमय में लिस्ट की गयी है। कंपनी द्वारा सामना किये जा रहे सख्त वित्तीय संकटों के कारण, निम्नलिखित लिस्टिंग शुल्क बकाया है।

चेन्नै स्टॉक विनिमय : 2002-03 से

मुम्बई स्टॉक विनिमय : 2000-01 से

कोलकत्ता स्टॉक विनिमय : 1997-98 से

स्टॉक संहिता : मद्रास स्टॉक विनिमय : एच पी एफ,

मुम्बई स्टॉक विनिमय : 524316

फिर कंपनी ने स्टॉक विनिमयों से अपनी शेयरों को स्वैच्छिक डीलिटिंग करने का प्रारंभ किया। पर उस कार्य पूर्ति कर नहीं पायी चूंकि डीलिटिंग की शर्त यह है कि लिस्टिंग शुल्क के बकायों को भुगतान किया जाए, पर इस दशा में कंपनी से संभव न है।

- बाजार दाम के आंखड़े : अब बाजार में कंपनी के शेयर अंकित नहीं हैं
- स्पष्ट आधारित चिन्हों के निष्पादन की तुलना में : लागू नहीं
- पंजीयक और स्थानांतरण एजेन्ट्स : शून्य
- शेयर स्थानांतरण प्रणाली : कंपनी में इन-हाउस शेयर स्थानांतरण सुविधा है
- रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 14 96,100 शेयरों सरकार में 10% न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी तक पहुंचने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान स्थानांतरित कर दिया गया।

- 31.03.2015 के अनुसार शेयरहोल्डिंग का वितरण :

श्रेणी	शेयर सं	% शेयर	
भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित)	186178500		90.00
जी आई सी और उनके आनुषंगिक	19187800	9.276	10.00
विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि	1496100	0.723	
भारतीय जनता (स्थानांतरण से)	2600	0.001	
कुल	206865000		100.00

- शेयर और लिक्विडिटी की डीमैट्रीयलाइजेशन : शेयरों को डीमैट्रीयलाइस नहीं किया।
- बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारन्ट्स या अन्य परिवर्तनीय साधन, बदलीकरण की तारीख व इक्विटी पर उसका यथा प्रभाव : शून्य
- सांविधिक अपराधे : कंपनी पर पिछले तीन सालों के दौरान पूंजी बाजार संबंधित मामले पर स्टॉक विनिमय / एस ई बी आई द्वारा कोई जुर्माना / चेतावनी नहीं लगायी गयी है।

- संयंत्र के स्थान :

संयंत्र	स्थान	विवरण
इकाई I	उटकमण्ड, तमिलनाडू	कॉला व श्वेत फोटोग्राफिक उत्पादों के लिए और आयातित कोटड बाइंड स्टॉक (रंगीन उत्पादों) कन्वर्शन के लिए पूर्णतः एकीकृत उत्पादन इकाई
इकाई III		मॉग्नेटिक टेप प्रभाग
इकाई IV		स्टेट आफ थी आर्ट पॉलिएस्टर एक्स-रे संयंत्र
इकाई II	अम्बत्तूर, चेन्नै, तमिलनाडू	कन्वर्शन इकाई और प्रोसिसिंग रसायन इकाई

पत्राचार के लिए पता :

सहायक कंपनी सचिव

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुयु कं लि,
इन्दु नगर, उटकमण्ड - 643 005

X. गैर-सांविधिक अपेक्षाओं सहित अनुपालन

- कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दी जा रही है । अतः कंपनी ने पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है ।
- श्री गिरिष कुमार, प्रबन्ध निदेशक एच एम टी आई और अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक प्रभारी, एच एम टी , बैंगलोर, एच पी एफ के निदेशक (वित्त) और अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार जारी भी है जिसकेलिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।
- फिलहाल शेयरधारियों को, अर्ध वार्षिक परिणामों सहित संक्षिप्त महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण नहीं भेजा जा रहा है ।
- मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशकों के लिए किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया ।
- कंपनी में किसी प्रकार की विसिल ब्लोयर पॉलिसि नहीं है ।

XI. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक की घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं कंपनी के वरिष्ठ प्रबन्ध मण्डल के लिए आचरण संहिता बनायी गयी है । आगे प्रमाणित किया जाता है कि बोर्ड के निदेशकगणों के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबन्ध मण्डल के कर्मियों ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान उस संहिता अनुपालन के बारे में प्रमाणित किया है ।

एस गिरिष कुमार
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 19.6.2015

स्थान : चेन्नै



ए जॉन मोरीश एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
सं 17/9, लक्ष्मीपुरम प्रधान रोड,
लाइडस रोड, रायपेट्टे
चेन्नै 600 014
दूरभाष : 044-28116003, 28116004ईमेल
एजानमोरीश@जीमैल.कॉम

निगमित शासन पर प्रमाण पत्र

सेवा में

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, के सदस्य,

हमने 31 मार्च 2015 को समाप्त हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में स्टॉक विनिमयों के साथ लिस्टिंग करार के खंड 49 के नियम में उक्त कंपनी के निगमित शासन के अनुपालन की दशाओं का परीक्षण किया है ।

निगमित शासन की दशाओं का अनुपालन प्रबंध मण्डल का उत्तरदायित्व है । हमारा परीक्षण उन कार्यविधियों और कार्यान्वयनों तक सीमित था जो निगमित शासन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी जाती है । यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा-परीक्षा या कोई राय अभिव्यक्ति नहीं है ।

हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी निगमित शासनों की दशाओं का अनुपालन किया है ।

हम आगे प्रकट करते हैं कि, यह अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी के पुनर्जीवन का आश्वासन देती है न ही कंपनी के दैनिक व्यवहार में प्रबंध मण्डल की कार्यकुशलता को दर्शाती है ।

दिनांक : 19.6.2015

स्थान : चेन्नै

कृते ए जॉन मोरीश एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 007220 एस

सन्जीवी नारायणन
भागीदार
सदस्य संख्या 228915

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुशेष

	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	कंपनी का उत्तर
i.	टिप्पणी सं 30कस सं 8 के सुरक्षित अ श्रृंखला बाण्डें एवं सुरक्षित ऋण की राशि 12295.66 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) है। इस कुल राशि में, स्थिर और चालू परिसंपत्तियों द्वारा केवल 503.11 करोड़ रु रक्षित है। हमारी राय में, शेष 11792.54 करोड़ रु का रक्षित ऋण मे वगीकरण ठीक नहीं है।	साल के लिए सं 5.1, 5.2 & 6.1 के वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों में फूटनोट के द्वारा पर्याप्त प्रकटन किया गया है।
ii	31.03.2015 के अनुसार, व्यापार प्राप्य का शेष पुष्टीकरण प्रमाण पत्र (लेनदार एवं देनदार के दोनों), व्यापार भुगतानीय (लेनदार व देनदार के दोनों), ग्राहकों से प्राप्य अग्रिम यदि नकद में या अग्रिम की तरह, अंतर निगमित जमाएँ एवं चालू देयताएँ आदि प्राप्त नहीं किया गया है। उन संबंधित पार्टियों से पुष्टीकरणों की अनुपस्थिति में, उपलब्ध बहियों की उचित शेष को, हमें जांच नहीं जा सकती।	पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि लेनदेन ठहराव के लिए आए हैं। वास्तविक बकाया राशि वित्तीय बयान में खुलासा किया गया है।
iii	टिप्पणी सं 30 का कम सं 14 के संबंध में, कंपनियों के परिसंपत्तियों के बनाम जोखिम के लिए बीमा प्रमियम का गैर भुगतान।	उच्च व्यय और वित्तीय बाधाओं के कारण संपत्ति का बीमा करना संभव नहीं था। अन्य परिसंपत्तियों का बीमा करने की प्रयास यथासमय में किया जाएगा।
iv	टिप्पणी सं 30 कम सं 16 के संबंध में, परिसंपत्तियों में सम्मिलित कतिपय संयंत्र एवं मशीनरी और पॉलिएस्टर संयंत्र से संबंधित स्टील्स, बॉल्वस और पाइप फिटिंग्स यथा अतिरिक्त और/या अप्रयोग जिन चीजों के निपटान पर हानि अपेक्षित न हों उनकी पहचान नहीं की गई।	पॉलिएस्टर संयंत्र की पूर्ति के समय पर ही संदर्भित परिसंपत्तियों में अतिरिक्त चीजों की पहचान की गयी ताकि जहाँ तक हों उसका प्रयोग किया जाए। चूंकि निपटान के मूल्य प्रतिस्थापन के लागत की तुलना में बहुत कम है।
v	टिप्पणी सं 30कम सं 24 के संबंध में, मैको और लघु और मीडियम एन्टरप्राइसेस डिवलपमेंट अधिनियम 2006 के अधीन प्रकटनों के लिए भुगतान किए ब्याज, भुगतानीय, अर्जित, अभुगतान के बकायी सूचना की गैर अनुलब्धि।	कंपनी के साथ संपर्क रखे मैको और लघु और मीडियम एन्टरप्राइसेस से मौखिक अनुरोधों के बावजूद, प्रकटनों की पर्याप्त संगत सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी।
vi	टिप्पणी सं 30 का कम सं 25 के संबंध में, जो उच्च न्यायालय में विचारधीन एच पी एफ अधिकारी संगम के दावे के मामले में वेतन पुनरीक्षण के लिए भुगतानीय राशि।	मामले की वर्तमान स्थिति अभि पता करनी है और इस स्तर पर उसके असर का निर्धारण नहीं हो सकता। यद्यपि सरकारीनीतियों के अनुसार बीमार कंपनियों के लिए वेतन पुनरीक्षण लागू नहीं होती है।
vii	सब लेखाओं के संबंध में, बैंकों से प्राप्त किये ऋणों के लिए शेष की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।	बैंकों से शेष ऋणों की पुष्टि देने का अनुरोध किया गया। लेकिन बैंकों से जवाब नहीं मिला।
viii	कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों की व्यक्तियों से विभिन्न कानूनी मामलों पर अपील किए एवं लगे हुए राशियों को अनुमान करने की निश्चित अनुपस्थिति। कंपनी की अंतिम देयता पर टिप्पणी देना असमर्थ।	संदर्भित कानूनी मामलाएँ आश्रय एवं अपील के विभिन्न स्तरों में हैं। अंतिम फैसले की अनुपस्थिति में, कंपनी की देयता के प्राक्कलन करना संभव नहीं रहा।

ix	<p>साल के दौरान, कंपनी ने ऋणदाताओं और अप्रचलित / गैर संचालित स्टॉक के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।</p>	<p>लेखा परीक्षा समिति और कंपनी के बोर्ड का अभिप्राय था कि तीन साल के ऊपर संदिग्ध ऋण एवं पाँच साल के ऊपर गैर-संचालित मालसूची के लिए सामान्य प्रावधान बनाने की विधि उचित नहीं। यह तय किया गया कि उसके बदले विवरणार्थ विश्लेषण करके केवल उन्हीं ऋणदाताओं और मालसूची के लिए विशेष रूप से प्रावधान किए जाए जो ऋण गैर-प्राप्य हैं और जो मालसूची अप्रचलित हैं। अतः लेखाकरण नीति उचित रूप से संशोधित किया गया।</p>
x	<p>कर्मचारियों को अनुदान किये एक मकान बनाने का अग्रिम रखे हुए 8290.14 हजार रुपये की राशि अब तक मिटा नहीं हुआ है और मकान ऋण लिये गये प्रत्येक सदस्यों के बहियों के देयताओं के संबंध में, सुचना की अनुपस्थिति में, उचित लेखों को जाँच कर नहीं पाया।</p>	<p>प्रत्येक संस्वीकृत मकान भवन ऋण, बनायी प्रप्तियाँ और भुगतानों पर विस्तार रूप से अध्ययन किया गया है। इस लेखाओं पर उपलब्ध प्रत्येक कर्मचारी सदस्यों बकायी ऋणें उपलब्ध हैं। लेखाकरण की प्रविष्टियाँ रीकन्सीलेशन किया जाना है और यह संभव उच्चतम तक ही किया जाएगा।</p>
xi	<p>टिप्पणी 30 कम सं 13(ग) के लेखाओं पर टिप्पणियों के संबंध में छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान है। कंपनी ने कंपनी के स्वयं प्राक्कलन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान बनाया गया है और वह वास्तविक मूल्यांकन से सत्यापित नहीं किया है।</p>	<p>वास्तविक मूल्यांकन प्राप्त करने की लागत अधिक है और कंपनी उसे संभाल कर न सके। मार्गदर्शनों के अनुपालन के लिए, प्रो रेट प्रावधान अनुमान के आधार पर बनाया गया है</p>
<p>लेखाकरण नीतियों की विवरण मद सं 1 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें, यह स्पष्ट किया है कि कंपनियों का वित्तीय विवरण "गोइंग कन्सर्न बेसिस" पर तैयार किया गया है। निम्नलिखित कारणों की वजह से हम इस पर राय देने में असमर्थ हैं।</p>		<p>कंपनी के लेखाओं गोयीग कन्सर्न बेसिस पर तैयार किये गये हैं।</p>

xii	<p>चालू वर्ष में कंपनी ने 2162.77 करोड़ रुपये की निवल हानि और 2131.35 करोड़ रुपये की नकद हानि पहुँची है</p>	<p>हालांकि कंपनी को उच्चतम निवल हानि पहुँची है फिर भी कंपनी की वास्तविक प्रचालन नकद हानि बहुत कम, 55.51 करोड़ रुपये के आसपास है और केवल थामनेवाला खर्च से संबंधित है।</p>
xiii	<p>31.03.2015 के अनुसार निवल स्वयं रखी शेयरधारियों की निधि 206.87 करोड़ रुपये के बनाम 15113.94 करोड़ रुपये की संचित हानियाँ हुई हैं</p>	<p>संचित हानि में 11545 करोड़ रुपये अर्जित ब्याज और 593 करोड़ रुपये अनअब्साबंड मूल्यह्रास, सम्मिलित हैं।</p>
xiv	<p>निवल मूल्य पूर्णतः घिस गया है और कंपनी को पिछले कई सालों से लगातार हानियाँ पहुँच रही हैं</p>	<p>यह तथ्य की बात है।</p>
xv	<p>कंपनी ने दि 14.10.1995 को बीमारी औद्योगिक कंपनियों का अधिनियम 1985 के प्रावधानों एवं शर्तों के अनुसार, बी आई एफ आर को संदर्भित किया गया है। बी आई एफ आर ने एस आई सी ए के समदिनांकित आदेश 30.01.2003 को, धारा 20(1) के अधीन कंपनी को बंद करने के लिए अपना अभिप्राय पुष्टि किया। कंपनी को बंद करने के लिए पुष्टि किये गये बी आई एफ आर का अभिप्राय के बनाम, कंपनी से अपील किये गये ए ए आई एफ आर ने, बी आई एफ आर के आदेश को खरीज कर दिया। कंपनी ने दि 27.06.2005 को, ए ए आई एफ आर के आदेशों के सं 2005 के 21816 के बनाम मद्रास उच्च न्यायालय में एक स्टे प्राप्त किया गया है।</p> <p>अक्टूबर 2009 के दौरान मामला सुनवाई के लिए आयी और मद्रास उच्च न्यायालय ने कंपनी के पुनर्जीवन के दशा के संबंध में आठ सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का अनुदान किया है। मेसर्स एर्नस्ट एण्ड यंग परामर्शीदाताओं के रिपोर्टों के आधार पर पुनर्जीवन प्रस्ताव /कारोबार योजना एक अंतर विभागीय समिति के द्वारा भा उ वि से विचार विमर्श किये गये एवं अनुमोदन के लिए बी आर पी एस ई को सिफारिश की है। बी आर पी एस ई ने लंबित आदेशों को सामने करने के लिए फरवरी 2009 में कार्यशील पूंजी की ओर 30 करोड़ रुपये मुक्त करने के लिए सिफारिश की। राशि फरवरी 2010 के दौरान प्राप्त किया गया था। बी आर पी एस ई ने 5.3.2010 को हुई पाँचवी बैठक में, एच पी एफ के पुनःसंरचना प्रस्ताव को अंतिम रूप से सिफारिश की और भा उ वि से यथा शीघ्र सरकार से संस्वीकृत प्राप्त करने का सलाह दिया। भा उ वि एक सी सी ई ए नोट परिचालन किया गया और उनकी सिफारिशें विचार विमर्श के लिए संसद को प्रस्तुत किया गया।</p>	<p>यद्यपि बी आई एफ आर कंपनी के समापन की सिफारिश आदेश पारित किया था, कंपनी अप्रैल 2013 तक उपलब्ध निधियों से न्यूनतम संचालन को बनाए रखा था।</p> <p>इसके अलावा, लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया कंपनी का दर्जा तथ्य की बात है।</p>

	<p>संसद सचिवालय ने सचिवालयों के समिति की अभिप्रायों के लिए संदर्भित किया है। सचिवों के समीक्षा करने के बाद, प्रस्ताव मंत्रि मण्डल के अनुमोदन के लिए सिफारिश की। 23.08.2012 को हुई मंत्रि मण्डल के बैठक में प्रस्ताव वापस लिया गया। इस बीच, जून 2013 के दौरान, आयोजित बी आर बी एस ई समीक्षा बैठक में बी एस ई कंपनी के पुनरुद्धार प्रस्ताव व्यवहार नहीं है और सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक पर बढ़ाया स्वे से नि सिफारिश की है और न्यायालय के निर्णय को कंपनी का उल्लेख है कि मनाया। बाद में भा उ वि विचार के लिए सी सी ई ए के लिए ऊपर पर एक प्रस्ताव ले जाया गया है।</p> <p>सी सी ई ए सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक में वी आर एस के कार्यान्वयन की दिशा में 181.54 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की और बी आर पी एसई की सिफारिशों के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।</p> <p>स्वैच्छक सेवानिवृत्ति योजना जनवरी 2015 के महीने से कंपनी में पेश किया गया है और लाभ 2007 काल्पनिक मान वेतन पर निर्धारित कर रहे हैं और 31 मार्च 2015 के अनुसार, 286 कर्मचारियों को वीआरएस पर मुक्त किया गया है।</p>	
xvi	<p>कंपनी की चालू देयताएँ उसकी चालू परिसंपत्तियों से 14754.29 करोड़ रुपये अधिक है।</p>	<p>चालू देयताओं में प्रमुख रूप से आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान, कंपनी से उठायी गयी विभिन्न मांग, भुगतान पर अर्जित ब्याज आदि और ऐसे प्रावधानों के लिए बनाए रकम शामिल है। इन देनदारियों के निपटान सरकार के निर्देश की प्रतीक्षा में है</p>
xvii	<p>यद्यपि कंपनी अपनी बैकर्स एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के भुगतान के लिए उन्हें समझौते पर पहुँचा है और 'एक समय भुगतान' पैकेज पर उठाया है जो अर्जित ब्याज का परित्याग एवं प्रधान राशि की 40% भुगतान शामिल है और रक्षित एवं अरक्षित ऋणदाताओं के निम्न आधार पर, यथा सरकार को पुनर्जीवन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, प्रस्ताव सरकार से अनुमोदन किया जाना है।</p>	<p>सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा में है।</p>

xviii	कंपनी के प्रमुख वित्तीय अनुपात काफी विपरीत है और प्रचालनों से वास्तविक नकद प्रवाह नेगेटिव रहता है	यह तथ्य की बात है ।
xix	कंपनी के जीने योग्य संभाव्यता पर संदेह होता है क्योंकि यथा कंपनी का वर्तमान उत्पाद मिक्स एवं उत्पादन स्तर, अपने विनिर्माणित उत्पादों पर विभिन्न लागत को भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है ।	सरकार ने कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक पैमाने पर वीआरएस लागू करने के लिए और कंपनी को बंद करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है
	हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य राय पैरा के आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव छोड़कर , वर्णित उक्त वित्तीय बयान अधिनियम द्वारा इस ढंग के रूप में आवश्यक सूचना और उक्त लेखे भारत में सामान्यतः माने गये लेखाकरण सिद्धांतों की पुष्टि में 31मार्च 2015 के अनुसार कंपनी के राज्य के मामलों में इसके नुकसान और नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त वर्ष के सही और ठीक सूचना देते हैं ।	सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता और उपलब्ध धन से कंपनी अस्तित्व जारी रखा है। अतः इस तारीख पर कंपनी की वित्तीय विवरणों को सत्य और स्वच्छ दृष्टि की दशा में देखना चाहिए ।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

एस गिरिष कुमार
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

31मार्च 2015 के अनुसार तुलन पत्र

(रु हजार में)

अनुसूचियाँ	31.03.2015 को	31.03.2014 को
इंक्विटी एवं देयताएँ		
शेयर धारियों की निधि		
शेयरपूजी	20,68,650	20,68,650
आरक्षण एवं अधिशेष	(-)15,09,18,281	(-)12,92,90,611
शेयर प्रार्थना पत्र राशि लंबित आबंटन	-	-
गैर चालू देयताएँ		
दीर्घ कालीन ऋण	23,75,203	23,75,203
चालू देयताएँ		
अल्पकालीन ऋण	10,16,34,036	8,67,10,745
भुगतानीय व्यापार	2,05,979	1,98,714
अन्य चालू देयताएँ	4,65,56,432	3,96,74,453
अल्पकालीन प्रावधाने	68,744	68,744
योग	19,90,763	18,05,898
परिसंपत्तियाँ		
गैर चालू परिसंपत्तियाँ		
स्थिर परिसंपत्तियाँ	10	
स्पष्ट परिसंपत्तियाँ	10,57,482	13,71,613
अस्पष्ट परिसंपत्तियाँ	-	-
गैर चालू निवेश	6	6
दीर्घ कालीन ऋण एवं अग्रीम	10,990	12,490
चालू परिसंपत्तियाँ		
माल सूचियाँ	74,840	76,305
प्राप्य व्यापार	51,704	52,501
नकद एवं बैंक शेष	4,97,524	33,873
अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रीम	2,91,269	2,58,764
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	6,948	346
योग	19,90,763	18,05,898
लेखोंपर विन्तीय विवरण	1 से 30	
लेखाकरण नीतियाँ	31	

आर उषा कुमारी
सहायक कंपनी सचिव

एम रमेशा
उप प्रबन्धक वित्त /
यूनिट हेड

एस गिरिष कुमार
निदेशक (वित्त) एवं
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

मंजित कुमार
निदेशक

हमारे अनुबधित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते ए जॉन मोरीस एण्ड क
सनदी लेखाकार एफ आर एन 007220 S
आर . सन्जीवी नारायणन
भागीदार
सदस्यसंख्या 228915

स्थान : चेन्नै
तारीख : 19.6.2015

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की लाभ और हानि लेखा के विवरण

(रु हजार में)

	अनुसूची	31.03.2015 को	31.03.2014 को
आय			
प्रचालनों से राजस्व	18	-14	11,073
अन्य आय	19	15,988	4,365
कुल राजस्व		15,974	15,438
व्यय			
उपभूक्त सामग्री की लागत	20	177	1,480
व्यापार में स्टॉक का क्य	21	-	-
तैयारी मालों की मालसूचीयों में परीवर्तन			
काम में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक	22	1,346	10,977
कर्मचारी हित व्यय	23	1,45,503	1,45,123
वित्त लागत	24	2,07,58,451	1,77,23,816
मूल्यह्रास / एमार्टाईडेशन का व्यय	25	3,14,131	3,14,131
अन्य व्यय	26	15,451	23,427
कुल व्यय		2,12,35,059	1,82,18,954
असाधारण मदे के पूर्व हानि		(-)2,12,19,085	(-)1,82,03,516
असाधारण मदे	27	4,08,585	1,301
साल के लिए हानि		(-)2,16,27,670	(-)1,82,04,817
जोडे(-)/घटाएँ (+) पुर्वावधि समायोजन (निवल)	28	-	590
तुलन पत्र को ली गयी निवल हानि		(-)2,16,27,670	(-)1,82,04,227
10/- (रुपयों में) अंकित मूल्य पर प्रति शेयर पर कमाई मूल और पतला	29	(-)105	(-)88
लेखों पर वित्तीय विवरण	1 से 30		
लेखाकरण नीतियाँ	31		

आर उषा कुमारी
सहायक कंपनी सचिव

एम रमेशा
उप प्रबन्धक वित्त /
यूनिट हेड

एस गिरिष कुमार
निदेशक (वित्त) एवं
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

मंजित कुमार
निदेशक

हमारे अनुबंधित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते ए जॉन मोरीस एण्ड क
सनदी लेखाकार एफ आर एन 007220 S
आर . सन्जीवी नारायणन
भागीदार
सदस्यसंख्या 228915

स्थान : चेन्नै

तारीख : 19.6.2015

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं लेखों पर टिप्पणियाँ:

1. निर्गमित सूचना :

मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुयु कं लि, यथा एक सार्वजनिक उपक्रम ने कंपनियों का अधिनियम, 1956 के अधीन, कंपनियों के पंजीकरण-मद्रास सहित 30 नवम्बर 1960 को पंजीकरण संख्या.000379 (सी आई एन नं एल33201 टी इजट 1960 भा स 000379) पंजीकृत किया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इन्दु नगर, उदगमण्डलम, नीलगिरि जिला, तमिलनाडु- 643 005 पर स्थित है। कंपनी हेल्थ केयर, इन्फ्रस्ट्रक्चर, मीडिया और रक्षाओं की माँग की पूर्ति के विनिमाता एवं फोटो सेन्सिटिव फिल्म उत्पादों जैसे चिकित्सा एक्स-रे, आद्योगिक एक्स-रे, ग्राफिक आर्ट्स, सिनि पाजिटिव (का व श्वे), सिनि साउण्ड नेगटिव, एरीचल, फोटोग्राफिक प्रिंटिंग पेपर (का व श्वे) प्रोसेसिंग रसायनों आदि के कच के कार्य में लगे हुए हैं।

कंपनी के प्रचालन प्रमुख कार्यालय उदगमण्डलम, नीलगिरि जिला और तमिलनाडु के अम्बत्तूर-चेन्नै में ध्यान दिया जाता है।
(रु हज़ारों में)

2. शेयर पूंजी	31.3.2015 को		31.3.2015 को	
	शेयरों की सं	रु राशि में	शेयरों की सं	रु राशि में
प्रधिकृत शेयर पूंजी				
10/- रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	21,00,00,000	21,00,000	21,00,00,000	21,00,000
जारी, अभिदत्त और चुक्ता				
10/- रुपये प्रत्येक				
पूर्ण चुक्ता 206865,000 शेयरें	20,68,65,000	20,68,650	20,58,65,000	20,58,650
(10500000 शेयर सहित जो सरकारी ऋण से पूर्ण चुक्ता इक्विटी शेयर के रूप में बदले गए जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त 206865000)				
योग	20,68,65,000	20,68,650	20,58,65,000	20,58,650

2.1. 5% शेयर के ऊपर रखे हुए शेयरधारियों का विवरण

शेयरधारियों का नामरखे % शेयरों की संख्या	31.3.2015 को		31.3.2014 को	
	रखे %	शेयरों की संख्या	रखे %	शेयरों की संख्या
भारत सरकार	90.00	18,61,78,500	90.00	18,61,78,500
जी आई सी एवं उनकी अनुषंगीयाँ	9.28	1,91,87,800	9.28	1,91,87,800

2.2 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2014 को बकाया शेयरों की संख्या के समाधान और शेयर पूंजी की राशि :

विवरण	31.3.2015 को		31.3.2014 को	
	शेयरों की संख्या	रु राशि में	शेयरों की संख्या	रु राशि में
साल के प्रारंभ में इक्विटी शेयर	20,68,65,000	20,68,650	20,58,65,000	20,58,650
जोड़े : साल के दौरान जारी शेयर			10,00,000	10,000
साल के अंत में शेष	20,68,65,000	20,68,650	20,68,65,000	20,68,650

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(रु हजार में)

	31.3. 2015 को	31.3. 2014 को
3. आरक्षण एवं अधिशेष :		
पूजा आरक्षण	--	--
निर्यात लाभ आरक्षण	11	11
बंध-पत्र प्रतिदान आरक्षित	2,21,121	2,21,121
	2,21,132	2,21,132
लाभ एवं हानि के विवरण में शेष अर्थात अधिशेष		
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ के अनुसार	(-) 12,95,11,743	(-)11,13,07,516
जोड़ें: लाभ व हानि लेखाओं से स्थानांतरित	(-)2,16,27,670	(-)1,82,04,227
रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार	(-) 15,11,39,413	(-)12,95,11,743
अंत शेष	(-) 15,09,18,281	(-)12,92,90,611

कंपनी को उचित रूप से स्थानांतरित/पट्टे पर दी गई भूमि की ओर 1 रु पूंजी आरक्षण शामिल कर नाम मात्र कीमत 1 रु माना गया है और उनके लिए तदनु रूप पूंजी आरक्षण भी 1 रु है ।

4. शेयर प्रार्थना-पत्र लंबित राशि आबंटन

इंक्विटी शेयरों की बकाया आबंटन की ओर प्राप्त/संस्वीकृत राशि	---	10,000
अंत शेष	--	10,000

5 दीर्घ कालीन ऋणें

रक्षित ऋण

एच पी एफ बंध पत्र (नोट 30(9) देखें)

12,11,103 (12,11,103 गत साल) – 1000 प्रत्येक के 13%अर्जित

निष्क्रेय अपरिवर्तनीय हि फो फि बंध पत्र 'अ' श्रृंखला

यू टी आई निधि के ब्याज पर ऋण

पूरक ऋण – बैंकों से (नोट 5.1 देखें)

भारतीय स्टेट बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक

स्टेट बैंक आफ द्रावनकोर

इंडियन बैंक

डी पी जी ऋण – भारतीय स्टेट बैंक(नोट 5.2 देखें)

असुरक्षित ऋण

कालीन ऋणें

केनरा बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

योग

23,75,203

23,75,203

5.1 बैंकों को अन्यथा प्रभावी रूप से आडमान प्रभावी या गिरवी रखी हुई सम्पत्तियों को छोड़कर सभी कच्ची सामग्रियाँ, प्रगति पर कार्य, तैयार माल व भण्डार के सभी वर्तमान व भविष्य दोनों स्टॉक के बही ऋण पर प्रथम प्रभार द्वारा पूरक ऋण रक्षित । पॉलिएस्टर एक्स-रे संयंत्र की स्थिर संपत्तियों पर दूसरे प्रभार द्वारा और रक्षित ।

5.2 बंध धारक में - केनरा बैंक के न्यासियों के साथ अन्य अचल संपत्तियों पर प्रथम प्रभार सहित ऋण से अर्जित संयंत्र व मशीनरी पर प्रथम प्रभार के द्वारा डी पी जी ऋण, गेरन्टर स्टेट बैंक आफ इण्डिया, समुद्रपारीय शाखा मद्रास के नाम रक्षित ।

6 अल्प कालीन ऋणें

सुरक्षित

नकद उधार (नोट 6.1 देखें) बैंकों से

भारतीय स्टेट बैंक	13,70,815		13,70,815	
अर्जित ब्याज एवं बकाया	5,06,94,524	5,20,65,339	4,27,11,260	4,40,82,075
	2,39,464		2,39,464	
इण्डियन ओवरसीस बैंक	87,58,678	89,98,142	74,18,529	76,57,993
अर्जित ब्याज एवं बकाया	1,04,703		1,04,703	
सिंडिकेट बैंक	48,44,479	49,49,182	40,71,822	41,76,525
अर्जित ब्याज एवं बकाया	99,129		99,129	
स्टेट बैंक आफ पटियाला	36,73,615	37,72,744	31,53,236	32,52,365
अर्जित ब्याज एवं बकाया	2,01,177		2,01,177	
स्टेट बैंक आफ द्रावणकोर	52,10,843	54,12,020	44,04,798	46,05,975
अर्जित ब्याज एवं बकाया	20,085		20,085	
इण्डियन बैंक	3,46,393	3,66,478		3,09,264
अर्जित ब्याज एवं बकाया	35,892		2,89,179	
केनरा बैंक	19,85,979	20,21,871	35,892	
अर्जित ब्याज एवं बकाया			16,35,076	16,70,968
भा र बैं - इन्दु नगर				
योग (क)		7,75,85,776		6,57,55,165
साख पत्र				
केनरा बैंक	28,036		28,036	
अर्जित ब्याज एवं बकाया	15,85,729	16,13,765	13,05,654	13,33,690
इण्डियन बैंक	15,556		15,556	
अर्जित ब्याज एवं बकाया	7,99,692	8,15,248		6,87,973
सिटी बैंक	36,302		36,302	
अर्जित ब्याज एवं बकाया	3,41,258	3,77,560		3,21,328
योग (ख)		28,06,573		23,42,991

असुरक्षित

भारत सरकार	48,76,072		38,50,772	
सरकार ऋणों पर अर्जित ब्याज एवं बकाया	1,16,11,299	1,64,87,371	1,05,53,302	1,44,04,074
योग (ग)		1,64,87,371		1,44,04,074
कालीन ऋणों				
अन्यों से - अन्तर निगमित ऋणों	3,60,700			
अर्जित ब्याज एवं बकाया	43,93,616	47,54,316	38,47,815	42,08,515
योग (घ)		47,54,316		42,08,515
योग (क)+ (ख)+(ग)+(घ)		10,16,34,036		8,67,10,745

6.1 कच्ची सामग्री, तैयार माल, प्रगति पर कार्य, भण्डार और पुर्जे और बही ऋण आदि को गिरवी रखकर नकद उधार एवं साख पत्र रक्षित किये हैं।

7. भुगतानीय व्यापार

एस एस आई इकाईयाँ	---	---
अन्य (मैक्रे एवं मीडियम उद्यम के लिए अगणनीय)	2,05,979	1,98,714
योग	2,05,979	1,98,714

8. अन्य चालू देयताएँ

कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के न्यासी	35,742	20,925
ग्राहकों से अग्रिम	6,661	6,661
'अ' श्रृंखला के अप्रदत्त एच पी एफ बंध पत्र / आवधिक जमा ब्याज सहित *	3,596	3,596
अन्य देयताएँ#	8,88,972	7,88,222
इण्डियन बैंक ओ डी	-	-
भास से असुरक्षित ऋणों पर अर्जित ब्याज पर देय नहीं	48,895	22,862
दीर्घकालीन ऋणों पर अर्जित ब्याज एवं बकाया (नोट 8.1 देखें)	4,55,72,566	3,88,32,187
योग	4,65,56,432	3,96,74,453

*अप्रदत्त एच पी एफ बंध-पत्र एवं ब्याज रीडिमंड बंध-पत्रों की राशि का अभ्यावेदन करती है और इन बंध-पत्रों पर अर्जित ब्याज जो अब तक दावा न किये गये/अप्रदत्त है।

#सांविधिक देयताएँ एवं सुरक्षित जमा सम्मिलित है।

8.1 दीर्घकालीन ऋण पर अर्जित ब्याज एवं बकाया के विवरण निम्नप्रकार है :

एच पी एफ बंध-पत्र	44,45,436	42,10,493
पूरक ऋण	2,92,38,702	2,46,49,059
डी पी जी ऋण	70,00,021	58,68,102
कालीन ऋण :		
केनरा बैंक	7,96,963	6,57,146
भारतीय स्टेट बैंक	40,91,444	34,47,387
योग	4,55,72,566	3,88,32,187

9 अल्पकालीन प्रावधाने

छुट्टी नकदीकरण	55,840	55,840
बोनस	--	--
अन्य कर्मचारी हितें**	12,904	12,904
योग	68,744	68,744

** सांविधिक देयताएँ जैसे भ नि अंशदान, उपदान और अन्यो के भुगतान के लिए राष्ट्रीय निवारण निधि से राशि उपयोग किया जा रहा है जो एन आर एफ संस्वीकृत भारत सरकार के आदेश के शर्तों के अनुसार कंपनी अपने टर्नअरउण्ड या लिक्विडेशन से वसूल किया जाएगा।

Schedule 10 to come here – last page**11. गैर चलू निवेश****दीर्घ कालिन निवेश**

हिन्दुस्तान फोटे फिल्मस कर्मचारी सहकारी भण्डार मे
10/-रु प्रत्येक के दीर्घ कालिन 600शेयर
योग

6	6
6	6

12. दीर्घ कालीन ऋणें एवं अग्रिम**सुरक्षित**

कर्मचारियों को ऋण

8,290	8,290
-------	-------

असुरक्षित एवं संदिग्ध माल

स्त्रोंतों पर कटौती किये गये कर

2,700	4,220
-------	-------

योग

10,990	12,490
---------------	---------------

निदेशकों से देय

---	---
-----	-----

अधिकारियों से कंपनी को देय

---	---
-----	-----

फर्मों से देय जिसमें कोई निदेशक एक भागीदार हों

---	---
-----	-----

प्राइवेट कंपनियों से देय जिसमें कोई एक निदेशक या सदस्य हों

---	---
-----	-----

13. मलसूचियाँ**भण्डार और पुर्जे आदि,**

शून्य लाख रु (गत साल शून्य लाख रु) के मार्गस्थ माल सहित*

56,574	56,594
--------	--------

घटाएँ : अप्रयुक्त अधिशेष के लिए प्रावधान

41,517	15,057	41,517	15,077
--------	--------	--------	--------

निर्बंध औजार

5	7
---	---

कचची सामग्रियाँ

शून्य लाख रु (गत साल शून्य लाख रु) के मार्गस्थ मालसहित)

70,828	70,828
--------	--------

घटाएँ : अप्रयुक्त /अधिशेष के लिए प्रावधान

70,828	70,828
--------	--------

प्राप्य रददी सामग्रियाँ

25,329	45,499	25,329	45,499
--------	--------	--------	--------

तैयार माल और स्टॉक में व्यापार
शून्य लाख रु के मार्गस्थ माल सहित
(गत साल शून्य लाख रु)
घटाएँ: अप्रयुक्त /अधिशेष के लिए प्रावधान

	321	444
	--	--
	321	444
प्रगति पर स्टॉक	10,405	11,627
योग	74,840	76,305

मूल्यवान प्रति के रूप में राशि , प्रबंधन द्वारा सत्यापित और प्रमाणित

14. प्राप्त व्यापार

असुरक्षित

प्राप्त व्यापार

संदिग्ध माने गये

51,480

52,277

असंदिग्ध माने गये

89,388

89,388

घटाएँ : प्रावधान

89,388

89,388

अन्य प्राप्त

संदिग्ध माने गये

224

224

असंदिग्ध माने गये

155

155

घटाएँ : प्रावधान

155

155

योग

51,704

52,501

समयानुसार विश्लेषण

छ:महीनों से ऊपर

51,547

52,344

अन्य

157

8401

योग

51,704

52,501

15. नकद एवं बैंक शेष

हाथ पर नकद, चेक एवं डाक टिकट

160

85

बैंकों से शेष *

45,647

3,261

बैंकों से आवधिक जमा #

4,52,017

30,527

योग

4,97,524

33,873

*6 हजार रुपये दावा न किये गये वॉरण्ट लेखा बैंक से शेष सम्मिलित (गत साल 6 हजार रुपये) ।

16. अल्प कालीन ऋण एवं अग्रिम

असुरक्षित

प्राप्त दावे

संदिग्ध माने गये

336

337

असंदिग्ध माने गये

2,55,652

2,55,651

घटाएँ : प्रावधान

2,55,652

2,55,651

अन्य

संदिग्ध माने गये

2,79,640

2,46,583

असंदिग्ध माने गये

2,801

2,801

घटाएँ : प्रावधान

2,801

2,801

सीमा शुल्क, पत्तन न्यास एवं उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों

के पास शेष	45	45
पूर्वदत्त व्यय	381	381
जमाए	11,113	11,418
योग	2,91,269	2,58,764

17 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

जमाओं पर अर्जित ब्याज

	6,948	346
योग	6,948	346

18 प्रचालनों से राजस्व

वापसी विक्रय घटाकर

घटाएँ : उत्पाद शुल्क/सी वी डी

	54	12,487
	68	1,414
योग	(-) 14	11,073

19 अन्य आय

कार्यादेश पर आय

अन्य विविध प्राप्तियाँ

टाउनशिफ किराया प्राप्तियाँ

दर्धावधि से भुगतान न किये ऋण शेष

ब्याज प्राप्तियाँ

विद्युत कर वापसी

	102	102
	1,816	2,214
	934	839
	--	--
	13,136	1,209
	--	1
योग	15,988	4,365

20 उपभुक्त सामग्री की लागत

उपभुक्त कच्ची सामग्रियाँ

अथ स्टॉक

जोड़े : कय

घटाएँ : इति स्टॉक

घटाएँ/जोड़े: पुनर्प्राप्य स्टॉक में (वृद्धि / कमी)

उपभुक्त भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे

	70,828	71,010
	752	71,580
	188	71,198
	70,828	70,828
	752	370
	97	938
	849	1,308
	(-)672	172
योग	177	1,480

21 व्यापार में स्टॉक का कय

अथ स्टॉक

कय

घटाएँ : इति स्टॉक

	--	--
	--	--
	--	--
योग	--	--

22. तैयारी मालों की मालसूचीयाँ, प्रगति में स्टॉक

और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन

अथ स्टॉक

तैयारी माल	445		1,485	
प्रगति में स्टॉक	11,627	12,072	21,564	23,049
इति स्टॉक				
तैयारी माल	321		445	
प्रगति में स्टॉक	10,405	10,726	11,627	12,072
योग		1,346		10,977
23 कर्मचारी हित व्यय				
वेतन, मजदूरी, बोनस आदि,		1,30,844		12,70,504
भविष्य निधि को अंशदान		9,418		9,918
सामूहिक बीमा योजना को अंशदान		548		249
कर्मचारी कल्याण व्यय		4,693		7,906
		1,45,503		1,45,123
घटाएँ : अनु एवं वि को स्थानांतरित व्यय		--		--
योग		1,45,503		1,45,123
24 वित्त लागत				
सरकारी ऋणों,		10,84,030		10,28,637
बैंक उधार एवं अन्य		1,96,74,421		1,66,95,179
योग		2,07,58,451		1,77,23,816
25 मूल्यह्रास एवं एमार्टइशेशन व्यय				
भवन		6,938		6,938
मशीनरी		2,97,021		2,97,021
अन्य		10,171		10,171
योग		3,14,131		3,14,131
26 अन्य व्यय				
बिजली और ईंधन		5,004		5,862
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
भवन		708		72
मशीनरी		827		806
अन्य		1,624	3,159	2,835
किसाया			3	1,836
पट्टा किसान-परियोजना भूमि			1,193	1,193
बीमा			14	--
दर एवं कर			842	989
यात्रा एवं सवारी भत्ता*			1,052	1,533
प्रशासन और कार्यालय व्यय			533	656
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (कम 26.1सं देखें)			89	88
निदेशकों के बैठक शुल्क			6	9
मुद्रा अस्थिरता			2,511	6,202
विविध व्यय**			1,041	1,088
विज्ञापन एवं प्रचार			--	37

विक्रय व्यय	4	221
	15,451	23,427
घटाएँ : अनु एवं वि को स्थानांतरित व्यय	--	--
	15,451	23,427
अनु एवं व्यय	--	--
योग	15,451	23,427

* 93 हजारों रु निदेशकों के व्यय सम्मिलित (गत साल 112 हजारों रु)

** 11 हजारों रु लेखा परीक्षा शुल्क सम्मिलित (गत साल 11 हजारों रु)

26.1 लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक

सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए (सेवा कर सम्मिलित)	68	67
अन्यों के लिए (यात्रा भत्ता और आउट आफ पॉकेट व्यय सम्मिलित)	21	21
योग	89	88

27 असाधारण मदें

स्वै से नि भुगतान	4,08,585	1,301
योग	4,08,585	1,301

28 पूर्वावधि समायोजन

ब्याज	--	--
अन्य लागत	--	590
योग	--	590

29 प्रति शेयर पर कमाईयाँ

कर के बाद निवल लाभ/(हानि)	(-)2,16,27,670	(-)1,82,04,227
बेसिक डाइल्यूटेड ई पी एस (सं) के लिए वजन किये औसत इक्विटी शेयरों की सं	20,68,65,000	20,68,65,000
इक्विटी प्रति शेयरों (रुपयों में) की साधारण मूल्य	10	10
प्रति शेयर (रुपयों में) बेसिक डाइल्यूटेड कमाई	(-) 105	(-)88

30. 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ :

1. आकस्मिक देयताएँ :

i) कंपनी के विरुद्ध मांगे ऋण नहीं माने गये हैं क्योंकि वे अपील के अधीन है ।
पूर्व वर्षों के लिए नगर पालिका कर 5.34 लाख रु (5.34 लाख रु)

ii) अन्यान्य :

		(रु लाखों में)
क	भारत सरकार मिण्ट से खरीदे सिल्वर पर विक्रय कर	297.46 गत वर्ष 297.46
ख	कुंज बिहारी शॉगी स्ट्रक्चर से किये दावा जिसे ऋण नहीं माना गया	160.49 गत वर्ष 160.49
ग	सरकार मिण्ट - ओडी ब्याज	1987.82 गत वर्ष 1819.41
घ	हिन्दुस्तान जिंक - ओडी ब्याज	3298.29 गत वर्ष 3154.31
	योग	5744.06 गत वर्ष 5431.67

iii) मेसर्स ब्लू स्टॉर लिमिटेड के 569.06 लाख रु दावे और कंपनी के 248.36 लाख रु के प्रति दावे के आगे माध्यस्थ अनिर्णय समझौता था कि कंपनी मेसर्स ब्लू स्टॉर लिमिटेड को 569.06 लाख रु भुगतान करेगी और मेसर्स ब्लू स्टॉर लिमिटेड से 25.91 लाख रु प्राप्त करेगी । 31.03.07 के अनुसार कंपनी को 543.15 लाख रु की निवल राशि भुगतानीय थी । आदेश के बनाम कंपनी की अपील मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में रद्द हो चुका थी । आदेश के आधार पर अब तक कंपनी ने आगे दावा नहीं किया ।

- पूजी लेखों पर किये जाने के लिए अनुमानित ठेके पर बकाया कार्य जिसके लिए पूजी प्रावधान नहीं किया है शून्य रु (गत वर्ष शून्य रु)
- बाण्ड जारी करने के मार्गदर्शन/शर्तों के अनुसार कंपनी को प्रतिदान प्रारंभ होने से पूर्व, जारी किए बाण्ड की राशि के 50% के समकक्ष बाण्ड प्रतिदान आरक्षण करना था । हानि के कारण कंपनी अपेक्षित आरक्षण सृजित न कर सकी ।
- कंपनी के पास तमिलनाडु सरकार से नियत की गयी मुफ्त 173.16 एकड़ की भूमि है । इसके अतिरिक्त कंपनी ने 1989 तक के लिए तमिलनाडु सरकार से मुफ्त पट्टे पर 28.01 एकड़ भूमि ली है और मुफ्त पट्टा के नवीकरण के लिए तमिलनाडु सरकार से आवश्यक आवेदन दाखिल किया है, इसके अतिरिक्त आदेश सं जी ओ एम सं 95 दि 12.02.1987 के द्वारा कंपनी को विस्तार परियोजना के निर्माण के लिए, तमिलनाडु सरकार से 90 एकड़ (लगभग 36 हेक्टेयर) भूमि पट्टे पर मिली है । किसी तीसरी पार्टी को देने के लिए तमिलनाडु सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता है ।
- मार्गस्थ सामग्री में - शून्य रु (गत साल शून्य रु)।
- माल सूची में प्रतिबिम्बित एस क्यू सी तकनीकों के द्वारा कंपनी के गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में 'पुनर्प्राप्य अपशेष सामग्री' के अंतर्गत शामिल स्लडज जैसी चाँदी वाली सामग्री में चाँदी की मात्रा का निर्धारण किया जाता है ।
- भासऋण से असुरक्षित ऋण – अंतर निगमित जमाएँ, विविध लेनदार, "ऋण और अग्रिम", विविध देनदार, "चालू देयताएँ" आदि के शेष पुष्टि के अधीन है ।
- 31.03.2015 के अनुसार 437.24 करोड़ रु प्रधान राशि ऋणों एवं 11858.41 करोड़ रुपये अर्जित ब्याज की राशि जोड़कर 12295.65 करोड़ रुपये सुरक्षित की गयी है जिसमें 503.11 करोड़ रुपये में, 486.85 करोड़ रुपये स्थिर परिसंपत्तियाँ (1997 मार्केट मूल्यांकन के आधार पर) एवं 62.41 करोड़ रुपये चालू परिसंपत्तियाँ सम्मिलित है ।
- दिनांक 6 नवम्बर 1987 को विवरणिका की शर्तों के अनुसार जारी 1000/- रु प्रति के 13%बाले रक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बाण्ड (अश्रृंखला) कंपनी की अचल और चल दोनों प्रकार की वर्तमान और कल की संपत्तियों की जहाँ भी हो, जिसमें स्थिर संयंत्र व मशीनरी और प्रथम प्रकार भी शामिल है । (बही ऋण के अलावा व उन्को छोड़कर) ट्रस्टी के रूप में मेसर्स केनरा बैंक को संतोषप्रद और बंधक, द्वारा रक्षित किया गया है ।

बशर्ते कि, बंधक/प्रभार, कच्ची सामग्रियों अर्ध तैयार माल के स्टॉक व्यापार के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए उधार प्राप्त करने के लिए उपभोगित भण्डार पर कंपनी के बैंकों के नाम पूर्व प्रभार और /या किये जानेवाले प्रभार के अधीन होंगे ।

बंधधारक, केनरा बैंक के न्यासियों के साथ अन्य स्थित संपत्तियों पर प्रभार सहित विदेशी मुद्रा ऋण सू अर्जित संयंत्र व मशीनरी पर भारतीय स्टेट बैंक, सिंगपुर से प्राप्त ऋण के लिए गारंटी-भारतीय स्टेट बैंक समुद्रपारीय शाखा मद्रास को प्रथम प्रभार सौंप दिया है । डी पी जी ऋण के रूप में विदेशी मुद्रा ऋण परिवर्तित किया गया था ।

जनता से बाण्ड के लिए 88करोड़ रु प्राप्त हुए तथा नियंत्रण पूंजी निर्गम की सामति से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के पास निजि रूप से रखने से 40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए आबंटन की तारीख अर्थात् 30.01.1988 से 7वर्षों के बाद ये बाण्ड सममूल्य पर प्रतिदेय होंगी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ने 45 करोड़ रुपयों के लिए बढ़ायी गयी अवधि के लिए प्रति साल 18% ब्याज की दर सहित प्रतिदान

की तारीख को 30.01.1998 तक बढ़ दिया है। वित्तीय संस्थानात्मक बाण्ड होल्डर्स/यू टी आई सहित बकाया प्रबन्ध के लिए, इन बंध पत्रों पर ब्याज की राशि परिपक्वता तारीख के बाद मूल ठेके के 13 प्रतिशत /18 प्रतिशत के दर पर मामले के अनुसार प्रभारित की गयी। चूंकि हि फो फि बंध पत्र 'अ' श्रृंखला की मान्यता तिथि 29.01.95 को समाप्त हुई, कंपनी ने प्रत्येक बंध धारकों को 6.08 करोड़ रुपयों तक प्रतिदान करने का प्रस्ताव किया जिसमें से 31 मार्च 2015 तक 5.88 करोड़ रु (गत साल 5.88 करोड़ रु) का प्रतिदान किया गया। अतीत हाल में कोई प्रतिदान नहीं किया।

10. स्वे से नि योजना के अधीन प्रतिपूर्ति और अन्य संबंधित भुगताने असाधारण मदे का अभ्यावेदन करती है।

11. बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के शर्तों पर दि 14.10.1995 को कंपनी बी आई एफ आर को संदर्भित की गई है। बी आई एफ आर ने दि 30.01.03 के आदेश के अनुसार बी औ क अ धारा 20(1) के अधीन कंपनी को बंद करने का अभिप्राय व्यक्त किया है। कंपनी ने बी आई एफ आर आदेश के बनाम ए ए आई एफ आर को अपील की है। ए ए आई एफ आर ने भी कंपनी को बंद करने के अपने अभिप्राय की पुष्टि की है। बदले में, कंपनी ने ए ए आई एफ आर के दिनांक 27.06.2005 के आदेश सं. 21816 के 2005 के बनाम मद्रास उच्च न्यायालय में स्टे प्राप्त किया गया है।

अक्टूबर 2009 के दौरान मामला सुनवाई के लिए आया और मद्रास उच्च न्यायालय ने कंपनी की पुनर्जीवन दशा के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आठ सप्ताह का वक्त दिया। विचार विमर्शीदाता मेसर्स यर्नस्ट एण्ड यंग के रिपोर्ट के आधार पर पुनरुद्धार प्रस्ताव एवं कारोबार योजना, एक अंतर विभागीय समिति के द्वारा भाउवि से विचार विमर्श किया गया और बी आर पी एस ई के अनुमोदन के लिए सिफारिश की गयी। बी आर पी एस ई ने लंबित आदेशों को सामने करने के लिए फरवरी 2009 में कार्यशील पूंजी की ओर 30 करोड़ रुपये मुक्त करने के लिए सिफारिश की और राशि फरवरी 2010 के दौरान प्राप्त किया गया था। बी आर पी एस ई ने 5.3.2010 को हुई पाँचवी बैठक में, एच पी एफ के पुनःसंरचना प्रस्ताव को अंतिम रूप से सिफारिश की और भा उ वि से यथा शीघ्र सरकार से संस्वीकृत प्राप्त करने का सलाह दिया

भा उ विएक सी सी ई ए नोट परिचालन किया गया और उनकी सिफारिशें विचार विमर्श के लिए संसद को प्रस्तुत किया गया। संसद सचिवालय ने सचिवालयों के समिति की अभिप्रायों के लिए संदर्भित किया है। सचिवों के समीक्षा करने के बाद, प्रस्ताव मंत्रि मण्डल के अनुमोदन के लिए सिफारिश की। 23.08.2012 को हुई मंत्रि मण्डल के बैठक में प्रस्ताव वापस लिया गया।

इसी बीच, जून 2013 के दौरान, आयोजित बी आर बी एस ई समीक्षा बैठक में बी एस ई ने मनाया कि कंपनी के पुनरुद्धार प्रस्ताव व्यवहार नहीं है और सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक पर बढ़ाया स्वे से नि और न्यायालय के निर्णय करने के लिए कंपनी का उल्लेख सिफारिश की। बाद में भा उ वि विचार के लिए सी सी ई ए के लिए ऊपर पर एक प्रस्ताव ले जाया गया है। सी सी ईए सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक में बी आर एस के कार्यान्वयन की दिशा में 181.54 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की और बी आर पी एस ई की सिफारिशों के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

जनवरी 2015 से कंपनी में 2007 काल्पनिक पैमाने पर बी आर एस पुरःस्थापित किया गया है और 31.3.2015 के अनुसार 286 कर्मचारियों को बी आर एस पर मुक्त किया गया है।

12. मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 433 (ई)व (एफ) के अधीन मद्रास उच्च न्यायालय में कंपनी के बनाम दायर की गयी याचिका उच्च न्यायालय से निलंबित की गयी क्योंकि कंपनी बी आई एफ आर को संदर्भित की गयी है।

13. कर्मचारी सुविधाएँ : कंपनी ने उपदान देयताएँ यथा पुनरीक्षित ए एस 15 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम से किये गये प्रोद्भवन के आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान किया है।

क) उपदान :

31 मार्च 2015 के अनुसार कंपनी की एल आई सी समूह उपदान नीति के लिए वास्तविक मूल्यांकन निधि की वांछित सीमा 744.01 लाख रु (गत साल 1148.27 लाख रु) थी। 31 मार्च 2015 के अनुसार एल आई सी के साथ उपलब्ध निधि 927.70 लाख रु (गत साल 1433.89 लाख रु) थी। ए एस 15 (आर) का प्रावधान किया गया है।

वास्तविक अनुमान :

मूल्यांकन पद्धति

: प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति

मार्टलइटी टेबुल	: एल आई सी (1994-96) अल्टीमेट
डिस्कण्ट रेट (प्रति साल)	: 8%
वेतन एश्केलेशन	: 8%
वापसी दर	: 1% से 3% आयु पर निर्भर

ख) 31.03.2015 के अनुसार हि फो फि के क अं म नि को 357.42 लाख रु की राशि देय है। (गत साल 209.25 लाख रु)। 215.80 लाख रु (गत साल 1074.00 लाख रु) की राशि न्यासी को चुकाया गया।

ग) वर्ष के दौरान जुदाई पर अवकाश नकदीकरण के लिए एकचुरियल वैल्यूएशन शामिल लागत और कठिनाई के की वजह से नहीं किया गया था। वर्तमान में अवकाश नकदीकरण देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान है।

14. स्थिर परिसंपत्तियों पर, वार्षिक बीमा प्रिमियम का भुगतान नहीं किया गया तदनुसार परिसंपत्तियों के बनाम जोखिम अब तक आश्रित नहीं हुई। हालांकि चल रहे वाहन बीमा द्वारा कवर किया गया है।

15. 1975 से 1992 की अवधि के लिए एच पी एफ से फाइल किये विभिन्न केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के वापसी दावे इस आधार पर है कि कटिंग, स्लिटिंग और जम्बोस विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है। इस संबंध में 49.79 करोड़ रुपये की राशि जो एच पी एफ द्वारा भुगतान किये शुल्क छिद्र पर वापसी दावे मूल राशि है जिस पर सी ई 1944 के अधिनियम के उपधारा 2(एफ)के अधीन अनुमति दी गई है। सरकारी निकायों के बीच अपीलों को निपटाने के लिए भारत सरकार (भास) उच्च शक्ति समिति द्वारा है अर्थात् समर्थों की समितियों (सीओडी), ने मामले की सुनवाई करने के बाद, अपने समादेश सं सी ओ डी 55/2007 दि 09.01.2008 के कार्यवृत्त पर कंपनी को सी ई एस टी ए टी के सामने मामला प्रस्तुत करने की अनुमति दी। कंपनी ने अन्यायपूर्व संवर्धन के प्रश्न पर अपेक्षित कागजों को फाइल किया है और मामला अब बोर्ड में ऊपर है और चेन्नै सी ई एस टी ए टी (बेंच) के सामने अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टड है। यह मामला 10.02.2011 को सी ई एस टी ए टी से सुनवायी हुई और कंपनी के दावा समादेश सं 395-398/11, 4.3.2011 को खरीज करते हुए आदेश जारी कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय में कंपनी ने समादेश सं 25131 दि 27.9.2011 को अपील फाइल किया है।

चूंकि देय राशि अन्यायपूर्व संवर्धन के सिद्धांतों में लागू नहीं होगा धन की वापसी दावा राशि देय है और सरकार से अपेक्षित है, धन की वापसी फाइल करने समय से कंपनी का दृढ़ विचार है कि देय राशि भारत सरकार से प्राप्त होनी चाहिए। केन्द्रीय उत्पाद विभाग के समादेश अपील सं 145/97 दि 30.09.1997 के अधीन अन्य धन की वापसी दावों के बनाम कंपनी को 5.6 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत करके दी गई।

16. क) स्थिर परिसंपत्तियों में शामिल कुछ संयंत्र व मशीनरी 6.09 लाख रु (गत साल 7.11 लाख रु) है जो जिनकी अभी आवश्यकता नहीं है, निपटाने के लिए रखे हुए है। इनका प्राप्य मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता।

ख) पॉलिएस्टर संयंत्र के संबंध में 20.44 लाख रु (गत साल 20.44 लाख रु) मूल्यवाले इसपात वॉस्त्व और पाइप फिटिंग्स अधिशेष के रूप में पहचाने गए और निपटाने के लिए रखे गये थे। इनका प्राप्य मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता। तदनुसार यदि निपटाने पर कोई हानि हो तो, उसका गणन इस समय नहीं किया जा सकता।

17. कंपनी फोटो ग्राफिक मालों के विनिर्माण और विक्रय के कारोबार में है और भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान से जारी लेखाकरण स्तर-17 के अनुसार कोई अलग रिपोर्टनीय खण्ड नहीं है।

18. क) चालू कर के लिए : चालू वर्ष और अग्रेषित किये हानियों और सेटऑफ के लिए उपलब्ध भत्ता के विचार विमर्श में, चालू वर्ष के आयकर भुगतान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए चालू वर्ष के कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

ख) कंपनी की हानियों की दृष्टि में और केन्द्रीय सरकार के सामने लम्बित पुनर्वास कार्यक्रम आदि से, भारत सरकार के सनदी लेखाकारों के संस्थान से जारी किये लेखाकरण 22 स्थर के अनुसार, आस्थगित देयता पर विचार नहीं किया गया।

19. एन एम डी सी, के आई ओ सी एल, बी ई एल, पी एच एच एल से अंतर निगमित ऋण के संबंध में लेखों बहियों में स्त्रोत पर कटौती किये आयकर (टी डी एस) और संबंधित ब्याज के लिए कमश: 1186.47 लाख रु और 546.10 लाख रु का प्रावधान किया गया था। 2001-2002 साल के दौरान आ क अधिनियम 1961 की धारा 154 के अधीन, 1994-95 के निर्धारण साल के लिए 28.11.2001 को प्रत्यावर्तन आदेश जारी किया गया। इसके कारण उन प्रावधानों का प्रत्यावर्तन किया गया। 1994-95 के निर्धारण साल के दौरान एम यू एल ऋण पर टी डी एस का कोई लेखा नहीं किया गया और लगातार सालों में, इस संबंध में परिशोधन नहीं हुए थे अतः एम यू एल के संबंध में कटौत टी डी एस लेखों बहियों में रखी गयी है।

20. एच पी एफ के पुनर्जीवन के लिए, यथा प्रोत्साहन पैकेज के रूप में तमिलनाडु सरकार ने 920.53 लाख रुपयों की संचित वन लीज किसये राशि को 31.03.2010 तक परित्याग कर दिया है और स आ भी जारी किया कि इवाई एवं पानी के लिए, स्वीकार किए संचित टी एन पी सी बी का देय 23.13 लाख रु शुल्क का आग्रह भी नहीं किया जाएगा। स आ के आधारित राशि पूर्ववधि आय उल्टा किया

गया है। वर्ष के दौरान लीज किराए के लिए वर्तमान की मांग हिसाब कर दिया गया है। इसके बाद नए जी ओ टी एन पी सी बी से प्राप्त हुआ है और उस पर आधारित 2000-01 से 2013-14 साल के लिए टी एन पी सी बी से सहमति शुल्क की मांग जोर नहीं किया और उल्टा किया गया है।

21. कंपनी ने 1998 से 2004 तक अतिथि गृह के भोग के लिए होटेल सिद्धांत नीलगिरीस (एच एस एन) से बकायी लाइसेन्स शुल्क की वापसी के लिए संपदा अधिकारी के सामने कार्यवाहीयाँ की थी। कार्यवाहीयाँ पूर्ति हुई थी और कंपनी की ओर से संपदा अधिकारी से आदेश जारी कर दिया कि आदेश के तीन महीनों के अंदर 56.50 लाख रु की बकाया लाइसेन्स शुल्क राशि को अदा करने के लिए एच एस एन को निर्देश दिया है। हे सि नी ने आदेश के बनाम अपील किया गया है और मामला सुनवाई के लिए आनेवाला है।

22. भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान से जारी किए लेखाकरण स्तर-18 के अनुसार संबंधित पार्टि के व्यवहार पर प्रकटन:

i) प्रमुख प्रबन्ध मण्डल कार्मिक श्री एस गिरीष कुमार
निदेशक वित्त एवं अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक (अति प्रभार)
श्री के गणेशन
मुख्य सतर्कता अधिकारी (अति प्रभार)

ii) प्रमुख प्रबन्ध मण्डल कार्मिक के पारिश्रमिक उनके संचालनों का विवरण शून्य रु (गत साल शून्य रु)

23. कंपनी ने जिन लघु उद्योग उपक्रमों में 30 दिनों के ऊपर बकाया राशि रखी है, वे शून्य है

24. क) मैक्रो, लघु और मीडियम एन्टरप्राइसेस डेवलपमेंट अधिनियम के अधीन 2006 प्रकटने। आपूर्तिकर्ताओं को बकाया देय को, लेखाकरण साल के अंत में, लेखा प्रधान राशि और ब्याज को कमशः संगत सूचना की अनुपस्थिति में निश्चित नहीं किया जा सकता।

ख) साल के दौरान ब्याज की ओर भुगतानी राशि को संगत सूचना की अनुपस्थिति में निश्चित नहीं किया जा सकता।

ग) साल के दौरान ब्याज की ओर भुगतानी राशि को संगत सूचना की अनुपस्थिति में निश्चित नहीं किया जा सकता।

घ) अर्जित ब्याज और भुगतान न किए राशि को, लेखाकरण साल के अंत में, संगत सूचना की अनुपस्थिति में निश्चित नहीं किया जा सकता

25. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस अधिकारियों के संग ने वेतन पुनरीक्षण सं.1996 का रिया 15060 और 1996 का रिया 20654 के लिए एक दावा फाइल किया है एवं मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इस दशा में राशि की मात्रा पहचानना कठिन है।

26. ऋण एवं अग्रिम - अन्य सहित 27.09 करोड रु (गत वर्ष 23.74 करोड रु) कर्मचारियों को दिया है। यह 31.03.2015 के अनुसार सेवा में रहे कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम का अभ्यावेदन करती है।

27. कई सालों से कंपनी बीमार है और क्षमता उपयोगीकरण 5% से भी कमी है। ऐसे अभ्यास के लिए लगाये उच्च लागत की दृष्टि में, स्थिर परिसंपत्तियों की क्षति के कारण कंपनी हुई हानि का निर्धारण नहीं कर सकी। अतः ए एस 28 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति के कारण हानि को निर्धारण कर न पायी।

28. क) ए एस 29 के अनुसार प्रावधान के संबंध में प्रस्तुत विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	अथ शेष	साल के लिए प्रावधान	साल में वापसी	अंत शेष
देनदार	895.43	---	---	895.43
दावे	2584.53	---	---	2584.53
स्टॉक	668.46	---	---	668.46
देयताएँ	687.44	---	---	687.44

ख) लेखाकरण नीति के परिवर्तन के अनुसार, कंपनी ने साल के दौरान खराब एवं असंदिग्ध ऋणों के लिए और अप्रचलित मदों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

29. शून्य रु पूर्वावधि समायोजन (निवल व्यय) का (गत साल 5.90 लाख शून्य रु (निवल नकद) व्यय/आय जो गत सालों में तैयार किये विन्तीय विवरणों से संबंधित चालू अवधि में उठाये /पहचानित किये गये।

30. 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

30. (क) क्षमता, उत्पादन, उपभुक्त कच्ची सामग्री, कुल बिक्री आदि का विवरण

क्षमता और उत्पादन :

क्रम सं.	माल का प्रकार	2014-15			2013-14		
		अनुज्ञप्ति *	संस्थापित **	उत्पादन @@	अनुज्ञप्ति *	संस्थापित **	उत्पादन @@
1	सिनि फिल्म (साउण्ड और रंगीन तथा फोटो पेपर सहित पाजिटिव और नेगटिव)मि वर्ग मी	12.347	15.260	0.000	12.347	15.260	0.000
2	एक्स-रे फिल्म — मि वर्ग मी	13.668	11.820	0.000	13.668	11.820	0.000
3	सेल फिल्म — मि वर्ग मी	1.010	0.310	0.000	1.010	0.310	0.000
4	ग्राफिक आर्ट्स — मि वर्ग मी	3.000	#2.250	0.000	3.000	#2.250	0.000
5	औद्योगिक एक्स-रे—मि वर्ग मी	0.750	#0.510	0.000	0.750	#0.510	0.0008
6	प्रोससिंग रसायन — टन	लत्र न	400	0.000	लत्र न	400	0.183
7	सिल्वर नाइट्रेट — टन	90@	120	0.000	90@	120	0.000
8	मॉग्नेटिक टेप — मि र मी	1500	550	0.000	1500	550	0.000

लत्र न लागू नहीं

* पुनर्पृष्ठांकित अनुज्ञप्ति के अनुसार परिशोधित

** बोर्ड द्वारा 1981में पुनर्निधारित और अनुमोदित गयी संयंत्र की कुल समेकित / परिवर्तित क्षमता सहित सूचित करता है [एक्स-रे के अतिरिक्त कोटिंग संयंत्र की क्षमता के सहित जिसका उत्पादन होने के बाद तकनीकी रूप से निर्धारन करने की जरूरत है]

@ संभरण सुविधा के रूप में रिफ़ाइंड सिल्वर के 81मे टन के लिए अनुज्ञप्ति क्षमता सहित

@@ 0.00 मि वर्ग मी. आयातित जम्बो रोलों के कार्यादेश परिवर्तन सहित

अनुमोदित आर सी ई - IIके अनुसार नई पॉलिएस्टर बेसड परियोजना के संस्थापित कोटिंग क्षमता चिकित्सा एक्स-रे 15.03 मि वर्ग मी, ग्राफिक आर्ट्स 2.25मि वर्ग मी, और औद्योगिक एक्स-रे 0.51मि वर्ग मी, [अर्थात् कुल 17.79मि वर्ग मी, प्रति वर्ष.], लेकिन इन उत्पादों के लिए विवशता/अढतिया निम्नानुसार है :

चिकित्सा एक्स-रे: 11.82मि वर्ग मी, . [ऊटी और अम्बत्तूर सहित कन्वर्शन]

ग्राफिक आर्ट्स: 2.25मि वर्ग मी, . [कोटिंग]

औद्योगिक एक्स-रे: 0.51मि वर्ग मी, [ऊटी और अम्बत्तूर सहित कन्वर्शन]

30. 31मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

30 (ख) उपभुक्त कच्ची सामग्रियाँ

		2014-15		2013-14	
इकाई		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सेल्यूलोस ट्राइएसिटेट	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
सिल्वर	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
मेथेलिन क्लोराइड	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
मेथनॉल	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
ट्राइफिनायल फासफेट	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
जेलेटिन	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
एसिटोन	कि ग्रा	0.00	0.00	0.00	0.00
बैरिख कोटेड पेपर	वर्ग मी	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिएस्टर बेस	वर्ग मी	0.00	0.00	0.00	0.00
कोटेड जम्बो	वर्ग मी	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य सामग्रियाँ			0.00		4.04
योग			0.00		4.04

30. 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
30 (ग) कुल बिक्री और उत्पादित माल के स्टॉक

मूल्य: रु लाख में :: मात्रा: लाख वर्ग मी में,

माल का प्रकार	31-03-2015 को समाप्त हुए वर्ष				31-03-2014 को समाप्त हुए वर्ष			
	कुल बिक्री		इति स्टॉक		कुल बिक्री		इति स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
उत्पादित सिनि फिल्म	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्पादित एक्स-रे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
उत्पादित रोल फिल्म	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्पादित फोटो पेपर	0.00	0.00	0.01	1.93	0.00	0.00	0.01	1.93
उत्पादित ग्राफिक आर्ट्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
उत्पादित औद्योगिक एक्स-रे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	105.96	0.00	1.19
उत्पादित माग्नेटिक टेप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
उत्पादित रसायन-टन	0.288	0.54	0.00	0.00	8.731	17.49	0.00	0.00
उत्पादित विविध	0.00	0.90	0.00	1.28	103.00	0.90	0.00	1.29
योग		0.54		3.21		124.86		4.44

30. 31मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
30 (घ) पारिश्रमिक के संबंध में सूचना

(रु लाखों में)

	2014-15	2013-14
i. निदेशक वित्त एवं (अति प्रभार) अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक – वेतन	---	---
ii. मुख्य सतर्कता अधिकारी भविष्य निधि और अन्य निधियाँ	---	---

30 ङ) आयात व्यय/विदेशी मुद्रा में कमाई /विनिमय आदि का विवरण.,

(रु लाखों में)

	2014-15	2013-14
i. कच्ची सामग्रियाँ	---	---
घटक और अतिरिक्त पुर्जें	---	---
पूजी मालें	---	---

ii. उपभुक्त कच्ची सामग्रियाँ, भण्डार और अतिरिक्त पुर्जें का मूल्य

	2014-15		2013-14	
	रु लाख में	उपभोग का प्रतिशत	रु लाख में	उपभोग का प्रतिशत
कच्ची सामग्रियाँ				
- आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
- स्वदेशी	7.52	100.00	4.04	100.00
भण्डार और अतिरिक्त पुर्जें				
- आयातित	0.00	0.00	0.09	5.24
- स्वदेशी	0.00	0.00	1.63	94.76

(रु लाखों में)

	2014-15	2013-14
iii. विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार)	---	---
iv. विदेशी मुद्रा में कमाई माल का निर्यात (एफ ओबी)	---	---

- 31.** चालू वर्ष में प्रस्तुती में, जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले साल के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत /पुनःश्रेणीकृत किया है ।
32. लेखों में कोष्टक में दिए गए आंकड़े नेगटिव बकाया दर्शाते हैं ।

31. लेखों पर नीतियाँ :

1. सामान्य

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत, कन्वेन्शन और ऑनगोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किए गये हैं। ये विवरण, प्रयोज्य आदेशात्मक लेखा स्तरों एवं कंपनी अधिनियम 2013 के संगत प्रस्तुतीकीय की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. स्थिर परिसंपत्तियाँ :

1. स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उनके ऐतिहासिक कीमत पर किया जाता है।
2. भूमि : पट्टे पर ली गयी भूमि सहित भूमि का विकास पर व्यय, भूमि की कीमत के अंक रूप में पूजीकृत किये गये हैं

3. अविचारणीय परिसंपत्तियाँ :

पैटेण्ट्स को कम किये संचित एमार्टडिसेशन, लागत प्राप्ति पर दिखाया है। पैटेण्ट्स को स्टैट लाइन के आधार पर दस साल के अतिरिक्त अवधि के अंदर चुकाया जाता है।

4. मूल्यह्रास :

- i) 31.03.1987 को मौजूद परिसंपत्तियों पर, आयकर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर सरल रेखा पद्धति से और तत्पश्चात् अर्जित परिसंपत्तियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। जोड़ों पर यथानुपात मूल्यह्रास का व्यय लगाया जाता है।
- ii) 5000 रु से कम लागत की परिसंपत्ति 100% पर मूल्यह्रासित है।
- iii) पुराने संयंत्र और एक पारि के अनुसार पॉलिएस्टर संयंत्र के लिए अतिरिक्त शिफ्टों में कार्यरत विभिन्न विभागों / एकाकों के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास का व्यय लगाया जाता है।

5. निवेश

निवेश का मूल्य उनकी कीमत के आधार पर किया जाता है।

6. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

क) माल सूचियों का मूल्यांकन :

भण्डार और पुर्जें आदि	- कीमत पर
निर्बंध औजार	- मूल्यह्रास घटकर कीमत पर
कच्ची सामग्रियाँ	- लागत पर
आयातित जम्बो कच्ची सामग्रियाँ	- लागत पर या निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो
प्राप्य स्केप / एनोड स्लाइम	- निवल प्राप्य मूल्य पर
प्रोसेस स्टॉक	- लागत पर या मार्केट मूल्य जो भी कम हो
तैयार माल	- लागत पर या निवल प्राप्य मूल्य जो भी कम हो

ख) कच्ची सामग्रियों के अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन में उसे वर्तमान स्थान पर लाने के संबंध में हुए सभी सीधे लागत शामिल कर मूल्यांकन किया जाता है। "निवल प्राप्य करने योग्य मूल्यों" पर पहुँचने के लिए विक्रय दामों (निवल पट्ट) से पूरक दाम घटाए गए हैं।

ग) तैयार माल तथा प्रगति पर कार्य के लागत को संगणित करते समय वित्त प्रभार तथा प्रशासकीय ऊपर व्यय वर्जित किए गए।

घ) i. प्रगति पर कार्य तथा छीजन के चाँदी अंश जिसका मूल्य तिमाही चल औसत पद्धति पर किया जाता है, उसे छोड़कर मालसूची का मूल्यांकन एफ आई एफ ओ के आधार पर किया जाता है।

ii. वर्षात में तैयार माल को प्रत्यक्ष सत्यापन के आधार पर हिसाब में लिया गया है और प्रत्यक्ष मालसूची और स्टॉक रिकार्ड के बीच में आधिक्य / कमी का लेखों में उचित समायोजन किया जाता है। पाँच सालों से ऊपर बनाये गये पुराने (अप्रयुक्त / अधिशेष मदें, भण्डार एवं पुर्जें तथा कच्ची सामग्रियाँ) गैर संचालन सामग्रियों का प्रावधान किया गया है।

iii. तैयार माल पर दी गयी चुंगी को वसूली योग्य माना गया है और उसे विक्रय दर या मालसूची के मूल्य में नहीं जोड़ा गया है। चुंगी के भुगतान के बाद पड़े अंतिम स्टॉक के लिए वसूली योग्य चुंगी का हिसाब वर्षात में लागू मूल्य और चुंगी के आधार पर लगाया जाता है

7. प्राप्य व्यापार :

फुटकर देनदारों में माल की रसत करनेवाले और सेवा करनेवाले व्यापारिक देनदार शामिल किये गये हैं।

8. दावे:

i. सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अन्यान्य पूर्ति के लिए दी गयी रकम में जो विवाधाधीन है उनको संबंधित अधिकारियों के हर मामले को ध्यान में रखकर वसूली योग्य माना जाता है।

ii. बीमा या अन्य दावों को, दावों की प्रस्तुती पर वसूली योग्य माना जाता है, और उन्हें निपटाने के लिए वर्ष में समायोजित किया जाता है

9. निवृत्ति लाभ :

- i. जीवन बीमा से ली गयी पॉलिसी के लिए, कंपनी, प्रीमियम के समान रकम की किश्त का भुगतान जीवन बीमा निगम को अदा करने के लिए ट्रस्ट को देती है । उपदान देयता को सम्मिलित करने के लिए कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पॉलिसी ली है ।
- ii. भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित किये लेखाकरण स्तर (ए एस 15) के अनुसार कर्मचारियों की निवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण की सुविधा का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है ।
- iii. जहाँ केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उद्यम में 1.1.1992 या 1.1.1997 से वेतन-पुनरीक्षण अब तक लंबित रहा है, वहाँ इस साल के दौरान कर्मचारियों के छु या भ की सुविधा को निलंबित किया गया है ।

10. विनिमय अन्तर :

- i. विदेशी मुद्रा के शेष (राजस्व और पूंजी) ऋणों को, तुलन पत्र के दिन प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार पुनःसमायोजन किया गया है ।
- ii. चालू देयताओं और चालू परिसंपत्तियों को उठाने के सम्बद्ध प्रतिकूल विनिमय अन्तरों को, राजस्व लेखों में प्राधिकृत किया है।

11. सामग्री लागत :

- i. आयातित सामग्रियों पर देय आयात शुल्क को प्रोद्भवन के आधार पर लेखों में दर्शाया गया है ।
- ii. उत्पाद शुल्क और मॉडवेट राहत को कीमत का अंश माना जाता है ।

12. कर्मचारी हित व्यय :

अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि या संशोधन संबंधी अपने दायित्व को उस वर्ष में कंपनी पहचानती है जिसमें सरकार उसके लिए अपनी स्वीकृति देती है या कंपनी उसकी अधिसूचना देती है ।

13. पूर्ववधि मद :

पूर्व सालों से संबंधित व्यय/आय, जिनकी राशि 1,00,000/- रु से अधिक हों वही पूर्ववधि मद जैसे वर्गीकृत किए गए हैं ।

14. उत्पाद शुल्क :

माल की निकासी और विक्रय पर उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क के हिसाब में लिया जाता है । ऐसे प्रबन्ध से लाभकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता ।

15. राजस्व मान्यता :

- i. माल की बिक्री को तभी माना जाता है, जब माल किसी कय के लिए बेची गयी हो, और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व का स्थानांतरण खरीदार को किया गया हो और उन स्थानांतरित मालों पर कोई प्रभावी नियंत्रण बाकी न रह गया हो और उनकी कीमत की प्राप्ति में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो
- ii. सेवाओं के लिए प्राप्त रकम को राजस्व तभी माना जाता है, जब उनसे प्राप्त रकम की प्राप्ति में, कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो ।
- iii. अन्यों से कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल किए जाने पर, प्राप्त राजस्व को मान्यता तभी दी जाएगी, जब प्राप्त रकम की प्राप्ति में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो ।
- iv. पिछले सालों में अनुपालन किये निवल मूल्य के बनाम वसूली मूल्य पर आधारित बट्टे और कमीशन को सम्मिलित, विक्रय मूल्य के संबंध में कंपनी ने अपनी नीति को परिवर्तित किया गया है ।

आर उषा कुमारी
सहायक कंपनी सचिव

एम रमेशा
उप प्रबन्धक वित्त /
यूनिट हेड

एस गिरिष कुमार
निदेशक (वित्त) एवं
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

मंजित कुमार
निदेशक

हमारे अनुबंधित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते ए जॉन मोरीस एण्ड कं,
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 007220 S

स्थान : चेन्नै
तारीख : 19.6.2015

आर . सन्जीवी नारायणन
भागीदार
सदस्य संख्या 228915

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु हजार में)

विवरण	31.3.2015 को	31.3.2014 को
I. प्रचालकीय कार्यकलापों		
कर व असाधारण मद पूर्व निवल लाभ/हानि और पुर्वावधि मदें	(-),2,16,27,670	(-),1,8,04,227
जोड़: लाभ/हानि लेखे को देन किये गैर प्रचालकीय और गैर नकद मदें :		
मूल्यह्रास और एमार्टाईजेशन	3,14,131	3,14,131
वित्त लागत	2,07,58,451	17723816
अतिरिक्त मदें	4,08,585	1301
	2,14,81,167	1,80,39,248
जोड़: लाभ/हानि लेखे को देन किये गैर प्रचालकीय और गैर नकद मदें:		
अन्य आय	15,988 (-) 15,988	4,365 (-) 4,365
कार्यशील पूंजी में प्रचालकीय कार्यकलापों के पूर्व परिवर्तन में नकदी अप्रवाह	(-),1,62,491	(-),1,69,344
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
व्यापार देय में वृद्धि	7,265	3764
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि	68,81,979	5753093
अल्प कालिन प्रावधानों में वृद्धि / (कमि)	--	(-) 4811
मालसूचियों में कमि	1,465	12861
व्यापार प्राप्तियों में कमि	797	5437
अल्प कालिन ऋणों एवं अग्रिम की वृद्धि	(-)32,505	(-)35449
अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमि)	(-) 6,602	68,52,399 1,709 57,36,603
प्रचालकीय कार्यकलापों से इनफ्लो / (आउटफ्लो) नकद	66,89,908	55,67,259
असाधारण मदें	(-),4,08,585	(-),1,301
प्रचालकीय कार्यकलापों से निवल इनफ्लो / (आउटफ्लो) नकद	55,65,958	47,74,441
II. निवेशित कार्यकलापों :		
स्थिर परिसंपत्तियों के क्रय	--	--
कर्मचारियों एवं अन्यो को दीर्घ कालिन अग्रिम	1,500	20
अन्य निवेशों से आय	15,988	4,365
निवेशित कार्यकलापों से निवल इनफ्लो / (आउटफ्लो) नकद	17,488	4,385

III. वित्तीय कार्यकलापें :

शेयरों निर्गम से आय	--	--
अल्प कालीन उधार ऋण से आय	1,49,23,291	1,21,63,648
वित्तीय लागत	(-)2,07,58,451	(-)1,77,23,816
वित्तीय कार्यकलापों से निवल इनफलो / (आउटफलो) नकद	(-)58,35,160	(-)55,60,168
नकद का निवल इनफलो	(-)4,63,651	(-)10,175
जोड़: नकद और नकद अनुरूप का अथ शेष	33,873	23,698
नकद और नकद अनुरूप का अंत शेष	4,97,524	33,873

आर उषा कुमारी
सहायक कंपनी सचिव

एम रमेशा
उप प्रबन्धक वित्त /
यूनिट हेड

एस गिरिष कुमार
निदेशक (वित्त) एवं
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

मंजित कुमार
निदेशक

हमारे अनुबंधित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते ए जॉन मोरीश एण्ड कं
सनदी लेखाकार एफ आर एन 007220 S

स्थान : चेन्ने
तारीख : 19.6.2015

आर . सन्जीवी नारायणन
भागीदार
सदस्य संख्या 228915



ए जान मोरीश एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
सं 17/9, लक्ष्मीपुरम प्रधान रोड,
लाइडस रोड, रायपैट्टै
चेन्ने 600 014
दूरभाष : 044-28116003, 28116004 ईमेल
एजानमोरीश@जीमैल.कॉम

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय स्टेटमेंट्स लेखापरीक्षित की है जिसमें शामिल हैं लाभ और हानि का विवरण, साल के समाप्त कैश फ्लो स्टेटमेंट और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश।

वित्तीय स्टेटमेंट्स के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार है कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के धारा 134(5) में कहा गया मामलों में वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में जो वित्तीय विवरण की स्थिति की एक सच्ची और निष्पक्ष दृष्टिकोण, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह दे जो भारत में आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार भारत के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित अधिनियम की धारा 133 के साथ पढ़ा कंपनियों (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 1 यह जिम्मेदारी में शामिल है पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी को रोकने और अन्य अनियमितताओं पता लगाने के लिए, चयन और उचित लेखांकन नीतियों के आवेदन, निर्णय और अनुमानों बनाने और अनुमान है कि उचित और विवेकपूर्ण हैं और डिजाइन के कार्यान्वयन, और एक सच्चे और निष्पक्ष विचार दे और सामग्री ग़लत बयान से मुक्त कर रहे हैं कि वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण के रखरखाव, चाहे शामिल वजह से धोखाधड़ी करने के लिए या त्रुटि।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी:

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए है। हम खाते में ले लिया है अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षा मानकों जो लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल होने के लिए आवश्यक हैं जो अधिनियम के प्रावधान के तहत और उसके अधीन बनाए गए नियमों के आधार पर

हम निर्दिष्ट अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार हमारे अंकेक्षण किया। उन मानकों, हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना के अनुरूप है और वित्तीय वक्तव्यों सामग्री ग़लत बयान से मुक्त कर रहे हैं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा प्रदर्शन की आवश्यकता है।

लेखा परीक्षा वित्तीय बयान में मात्रा और खुलासे के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं के प्रदर्शन शामिल है। चयनित प्रक्रियाओं वित्तीय बयान की सामग्री ग़लत बयान के जोखिम का मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय की वजह से

धोखाधड़ी या त्रुटि के लिए पर निर्भर करते हैं. उन जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारी और हालात में उचित हैं कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया डिजाइन करने के क्रम में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दे कि वित्तीय वक्तव्यों की प्रस्तुति के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रासंगिक समझता है, लेकिन राय व्यक्त करने का उद्देश्य में नहीं चाहे कंपनी एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और प्रभावशीलता नियंत्रण संचालन। . लेखा परीक्षा भी इस्तेमाल लेखांकन नीतियों के औचित्य और तर्कसंगतता लेखांकन अनुमानों की, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की गई है, साथ ही वित्तीय बयान की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं की हमें प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत अयोग्य लेखापरीक्षा राय आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

योग्य राय का आधार

- i. नोट 30, कम सं 8 के सुरक्षित "अ" श्रृंखला बाण्ड एवं सुरक्षित ऋण की राशि 12295.65 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) है। इस कुल राशि में, स्थिर और चालू परिसंपत्तियों द्वारा केवल 503.11 करोड़ रु रक्षित है। हमारी राय में, शेष 11792.52 करोड़ रु के रक्षित ऋण का वर्गीकरण ठीक नहीं है।
- ii. 31.03.2015 के अनुसार, व्यापार प्राप्य का शेष पुष्टीकरण प्रमाण पत्र (लेनदार एवं देनदार के दोनों), व्यापार भुगतानीय (लेनदार व देनदार के दोनों), ग्राहकों से प्राप्य अग्रिम यदि नकद में या अग्रिम की तरह, अंतर निगमित जमाएँ एवं चालू देयताएँ एसबीआई पांडिचेरी और सिटी बैंक के चालू खाता आदि प्राप्त नहीं किया गया है। उन संबंधित पार्टियों से पुष्टीकरणों की अनुपस्थिति में, उपलब्ध बहियों की उचित शेष को, हमें जाँच नहीं जा सकती।
- iii. नोट 30, कम सं 14 के संबंध में, कंपनियों के परिसंपत्तियों के बनाम जोखिम के लिए बीमा प्रिमियम का गैर भुगतान।
- iv. नोट 30, कम सं 16 के संबंध में, परिसंपत्तियों में सम्मिलित कतिपय संयंत्र एवं मशीनरी और यथा अधिशेष और/या अप्रयोग पॉलिएस्टर संयंत्र से संबंधित स्टील्स, वॉल्वस और पाइप फिटिंग्स यथा अतिरिक्त जिन चीजों के निपटान पर हानि अपेक्षित न हो उनकी पहचान की गई।
- v. नोट 30, कम सं 24 के संबंध में, मैक्रो और लघु और मीडियम एन्टरप्राइसेस डिवलपमेंट अधिनियम 2006 के अधीन प्रकटनों के लिए भुगतान किए ब्याज, भुगतानीय, अर्जित, अभुगतान के बकायी सूचना की गैर अनुलब्धि।
- vi. नोट 30, कम सं 25 के संबंध में, उच्च न्यायालय में विचारधीन एच पी एफ अधिकारी संगम के दावे के मामले में वेतन पुनरीक्षण के लिए भुगतानीय राशि।
- vii. सब लेखाओं के संबंध में, बैंकों से प्राप्त किये ऋणों के लिए शेष की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
- viii. कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों की व्यक्तियों से विभिन्न कानूनी मामलों पर अपील किए एवं लगे हुए राशियों को अनुमान करने की निश्चित अनुपस्थिति में, हमें कंपनी की देयताओं पर टिप्पणी दे नहीं सका।
- ix. साल के दौरान कंपनी ने देनदारों के लिए एवं अफसोलेट/गैर-संचालन स्टॉक के लिए पर्याप्त प्रावधानों नहीं किया गया है।
- x. कर्मचारियों को अनुदान किये एक मकान बनाने का अग्रिम रखे हुए 8290.14 हजार रुपये की राशि अब तक मिटा नहीं हुआ है और मकान ऋणें लिये गये प्रत्येक सदस्यों के बहियों के देयताओं के संबंध में, सूचना की अनुपस्थिति में, उचित लेखाओं को जाँच कर नहीं पाया।
- xi. अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान के बारे में वित्तीय विवरणों पर नोट्स के नोट 30 की संख्या 13 (ग) कंपनी, कंपनी के खुद आकलन के आधार पर अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान किया गया है और यह बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

लेखाकरण नीतियों की विवरण मद सं 1 पर ध्यान आकषित किया जाता है, जिसमें, यह स्पष्ट किया है कि कंपनियों का वित्तीय विवरण "गोइंग कन्सर्न बेसिस" पर तैयार किया गया है। निम्नलिखित कारणों की वजह से हम इस पर राय देने में असमर्थ है।

- xii. चालू वर्ष में कंपनी को 2162.77 करोड़ रु की निवल हानि और 2131.35 करोड़ रु की नकद हानि पहुँची है।
- xiii. 31.03.2015 के अनुसार निवल स्वामित्व रखी शेयरधारियों की निधि 206.87 करोड़ रु के बनाम 15113.94 करोड़ रु की संचित हानियाँ हुई है।

- xiv. निवल मूल्य पूर्णतः घिस गया है और कंपनी को पिछले कई सालों से लगातार हानियाँ पहुँच रही है ।
- xv. कंपनी ने दि 14.10.1995 को बीमारी औद्योगिक कंपनियों का अधिनियम 1985 के प्रावधानों एवं शर्तों के अनुसार, बी आई एफ आर को संदर्भित किया गया है । बी आई एफ आर ने एस आई सी ए के समदिनांकित आदेश 30.01.2003 को, धारा 20(1) के अधीन कंपनी को बंद करने के लिए अपना अभिप्राय पुष्टि किया । कंपनी को बंद करने के लिए पुष्टि किये गये बी आई एफ आर का अभिप्राय के बनाम, कंपनी से अपील किये गये ए ए आई एफ आर ने, बी आई एफ आर के आदेश को खारीज़ कर दिया । कंपनी ने दि 27.06.2005 को, ए ए आई एफ आर के आदेशों के सं 2005 के 21816 के बनाम मद्रास उच्च न्यायालय में एक स्टे प्राप्त किया गया है ।

अक्टूबर 2009 के दौरान मामला सुनवाई के लिए आयी और मद्रास उच्च न्यायालय ने कंपनी के पुनर्जीवन के दशा के संबंध में आठ सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का अनुदान किया है । मेसर्स एनस्ट एण्ड यंग परामशीदाताओं के रिपोर्टों के आधार पर पुनर्जीवन प्रस्ताव /कारोबार योजना एक अंतर विभागीय समिति के द्वारा भा उ वि से विचार विमर्श किये गये एवं अनुमोदन के लिए बी आर पी एस ई को सिफारिश की है । बी आर पी एस ई ने लंबित आदेशों को सामने करने के लिए फरवरी 2009 में कार्यशील पूंजी की ओर 30 करोड़ रुपये मुक्त करने के लिए सिफारिश की और उसी महीने राशि प्राप्त किया था । बी आर पी एस ई ने 5.3.2010 को हुई पाँचवी बैठक में, एच पी एफ के पुनःसंरचना प्रस्ताव को अंतिम रूप से सिफारिश की और भा उ वि से यथा शीघ्र सरकार से संस्वीकृत प्राप्त करने का सलाह दिया ।

भा उ वि एक सी सी ई ए नोट परिचालन किया गया और उनकी सिफारिशें विचार विमर्श के लिए संसद को प्रस्तुत किया गया । संसद सचिवालय ने सचिवालयों के समिति की अभिप्रायों के लिए संदर्भित किया है । सचिवों के समीक्षा करने के बाद, प्रस्ताव मंत्रि मण्डल के अनुमोदन के लिए सिफारिश की । 23.08.2012 को हुई मंत्रि मण्डल के बैठक में प्रस्ताव वापस लिया गया । पुनर्गठन प्रस्ताव के मंत्रिमंडल से अनुमोदन के लिए कंपनी प्रतीक्षित था ।

इसी बीच ,जून 2013 के दौरान, आयोजित बी आर बी एस ई समीक्षा बैठक में बी एस ई कंपनी के पुनरुद्धार प्रस्ताव व्यवहार नहीं है और सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक पर बढ़ाया स्वे से नि सिफारिश की है और न्यायालय के निर्णय को कंपनी का उल्लेख है कि मनाया । बाद में भा उ वि विचार के लिए सी सी ई ए के लिए ऊपर पर एक प्रस्ताव ले जाया गया है । सी सी ई ए सभी कर्मचारियों के लिए 2007 काल्पनिक में बी आर एस के कार्यान्वयन की दिशा में 181.54 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की और बी आर पी एस ई की सिफारिशों के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए और कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जनवरी 2015 के महीने से कंपनी में पेश किया गया है और लाभ 2007 काल्पनिक मान वेतन पर निर्धारित कर रहे हैं और 31 मार्च 2015 के अनुसार ,286 कर्मचारियों को वीआरएस पर मुक्त किया गया है ।

- xvi. कंपनी की चालू देयताएँ उसकी चालू परिसंपत्तियों से 14754.29 करोड़ रु अधिक है ।
- xvii. यद्यपि कंपनी अपनी बैंकर्स एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के भुगतान के लिए उन्हें समझौते पर पहुँचा है और 'एक समय भुगतान' पैकेज पर उठाया है जो अर्जित ब्याज का परित्याग एवं प्रधान राशि की 40% भुगतान शामिल है और रक्षित एवं अरक्षित ऋणदाताओं के निम्न आधार पर, यथा सरकार को पुनर्जीवन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, प्रस्ताव सरकार से अनुमोदन किया जाना है ।
- xviii. कंपनी के प्रमुख वित्तीय अनुपात काफी विपरीत है और प्रचालनों से वास्तविक नकद प्रवाह नेगटिव रहता है ।
- xix. कंपनी के जीने योग्य संभाव्यता पर संदेह होता है क्योंकि कंपनी अपने विनिर्माणित उत्पादों पर विभिन्न लागत को भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है ।

योग्य राय

हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य राय पैरा के आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव छोड़कर , वर्णित उक्त वित्तीय बयान अधिनियम द्वारा इस ढंग के रूप में आवश्यक सूचना और उक्त लेखे भारत में सामान्यतः माने गये लेखाकरण सिद्धांतों की पुष्टि में 31मार्च 2015 के अनुसार कंपनी के राज्य के मामलों में इसके नुकसान और नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त वर्ष के सही और ठीक सूचना देते हैं ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. कंपनियों (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2015 द्वारा आवश्यक रूप में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अधिनियम के धारा 143 की उपधारा 11 के संदर्भ में, हम निर्दिष्ट मामलों पर आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में लागू हद तक एक बयान देते हैं।
2. अधिनियम के धारा 143 (3) के आवश्यकता के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क. योग्य राय पैरा में वर्णित मामलों को छोड़कर, हमने समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं कि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक थे।
 - ख. योग्य राय पैरा में वर्णित मामलों की संभावित प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में जरूरी खाते के समुचित किताबें कानूनी रूप से अब तक कंपनी द्वारा रखा गया है जो पुस्तकों के बारे में हमारी परीक्षा से प्रकट होता है
 - ग. बैलेंस शीट और लाभ और इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट हानि का विवरण खाते की पुस्तकों के साथ समझौता कर रहे हैं
 - घ. हमारी राय में, लेखा मानक 28 "आस्तियों की हानि" जिसका प्रभाव पता लगाना योग्य नहीं है और लेखा मानक 15 "कर्मचारी लाभ," जो छुट्टी नकदीकरण मुंशी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया, इसके अलावा वित्तीय विवरण लेखा मानक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 133 के साथ पढ़ा कंपनियों (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 की आवश्यकता के साथ अनुपालित है।
 - ङ. निदेशक मंडल के रिकार्ड पर लिया 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निर्देशकों में से कोई भी खण्ड (छ) के मामले में एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा और अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च 2015 की स्थिति के निरहित कर रहे हैं।
 - च. हमारी राय में योग्य राय पैरा में वर्णित मामलों, कंपनी के कामकाज पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है
 - छ. हमारी जानकारी और हमें दिया स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए मामलों के संबंध में
 - i. कंपनी खुलासा किया है अपने वित्तीय वक्तव्यों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव। नोट 30 के नोट 1, 12, 15, 21 और 25 देखें
 - ii. लागू कानून या लेखा मानक के आवश्यक रूप में, सामग्री निकट नुकसान के लिए, यदि कोई हो तो लंबी अवधि के अनुबंध पर कंपनी प्रावधान किया गया है
 - iii. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कंपनी द्वारा स्थानांतरित करने का स्थानांतरित मात्रा के देरी का विवरण विवरण पॉइंट VII (क) (2) अनुबंध क में दिया गया है

कृते ए जान मोरीश एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन सं 02509S

आर सन्जीवी नारायणन
भागीदार
सदस्य संख्या 228915

स्थान : चेन्नै
तारीख : 19.6.2015



ए जान मोरीश एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
सं 17/9, लक्ष्मीपुरम प्रधान रोड,
लाइडस रोड, रायपैट्टे
चेन्ने 600 014
दूरभाष : 044-28116003, 28116004ईमेल
एजानमोरीश@जीमैल.कॉम

अनुबंध “क ” - हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर

I. स्थिर परिसंपत्तियों

क) कंपनी ने स्थिर परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और उनकी स्थिति सहित विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख रखे हैं।
ख) यथा सूचित, साल के दौरान प्रबन्ध मण्डल ने स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया गया है और हमारी राय में अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन जो प्रबंधन द्वारा अनुसरण किया है , कंपनी के आकार और अपने व्यापार की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त नहीं हैं ।

II. इनवेंटरी

क) साल के दौरान सभी कच्ची सामग्रियाँ, भण्डार एवं पुर्जे और तैयार मालों को भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया गया है ।
फिर भी, कच्ची सामग्रियों का एक अंक, भण्डार एवं पुर्जे और तैयार मालें, साल समाप्त होने के बाद भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है ।
ख) हमारी राय में प्रबन्ध मण्डल द्वारा पालन किये जानेवाले कंपनी के भौतिक स्टॉक सत्यापन की कार्यविधि का कंपनी के आकार और कारोबार के अनुसार उचित प्रबंध है ।
ग) मालसूची अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर हमारी राय में, कंपनी माल सूची के लिए उचित अभिलेख रखती है ।

III. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे खाते में आनेवाली कंपनियाँ, फर्मों और अन्य पार्टियों से कंपनी ने कोई रक्षित या सुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है

IV. हमारी राय में, और हमें दी गयी सूचना स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी माल सूची के कय के लिए, स्थिर परिसंपत्तियों और मालों के विकय के लिए, अपने कारोबार के प्रकार एवं अनुरूप सहित, पर्याप्त अंतराल पर नियंत्रण कार्यविधि रखती है । इसके अलावा, कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्ड के बारे में हमारी परीक्षा के आधार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम न तो भर में आ गए हैं और न ही कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दी लेखांकन और गृह निर्माण अग्रिम (एच बी ए) से संबंधित दस्तावेजों के बारे में लेन-देन के लिए छोड़कर पूर्वोक्त आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया में बड़ी कमजोरी दूर करने के लिए किसी भी जारी रखने की विफलता के बारे में सूचित कर दिया गया है।

V. साल के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा की प्राप्ति नहीं किया है ।

VI. कंपनी द्वारा विनिर्माण किये जानेवाले मालों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 उप धारा 1 के अधीन केन्द्रीय सरकार ने लागत अभिलेखों का पालन करने का निर्धारण नहीं किया है ।

VII. क) कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार, सांविधिक देय, भविष्य निधि निवेशक शिक्षा और रक्षा निधि, उत्पाद शुल्क, आयकर (टीडीएस) विकय कर और अन्य अविवादग्रस्त सांविधिक देय उचित प्राधिकरणों को नियमित रूप से जमाये गए हैं और कोई देरी नहीं हुआ , टी सी एस के लिए 464.47 रुपये की राशि छोड़कर जो आज तक जमा नहीं किया गया है ।

संविधि का नाम	देयों की प्रकृति	राशि (रु लाखों में)	राशि संबंधित अवधि	भुगतान / प्रेषण के लिए अंतिम तारीख	भुगतान की तारीख
आयकर अधिनियम, 1961	अनु एवं वि उपकर	4.94	1992-93	1992-93	किसी देय का भुगतान नहीं किया गया ।
कंपनी अधिनियम, 1956	निवेशक शिक्षा एवं प्रोटेक्शन निधि के अधीन दर्शाया एच पी एफ बाण्ड "अ" श्रृंखला पर प्रधान व ब्याज जिन पर दावा नहीं किये गये हैं ।	35.96	1994-95	30.01.2002	
कर्मचारी भविष्य निधि	भविष्य निधि अपना योगदान	87.26	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक	मई 2014 से अप्रैल 2015 तक	अभी तक भुगतान नहीं किया
	भविष्य निधि स्वैच्छिक योगदान	48.72	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक		
	भविष्य निधि कंपनी का योगदान	120.14	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक		
	भविष्य निधि अग्रिम वसूलियां	100.93	अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक		

ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और परीक्षित कंपनी अभिलेखों से, 31 मार्च 2015 को आयकर, संपत्ति कर विक्रय कर और केन्द्रीय शुल्क देय का कोई बकाया राशि नहीं है, जो विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है ।

- VIII. 31 मार्च 2015 के अनुसार कंपनी की संचित हानियाँ कंपनी के निवल मूल्य से अधिक है। उस तारीख को समाप्त वित्तीय साल में 2131.35 करोड़ रुपये की नकद हानि पहुँची है और पिछले तीन वित्तीय साल में भी नकद हानि पहुँची है ।
- IX. कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार, कंपनी तुलन पत्र की तारीख तक वित्तीय संस्थानों, बैंक और बाण्ड होल्डर्स के देय का पुनःभुगतान करने में असफल रही । असफलता की अवधि और राशि 'अनुबंध 1' में दर्शाया गया है ।
- X. कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचर्स और अन्य स्त्रोतों के जरिए सुरक्षा के आधार पर गिरवी रखकर, कोई अनुदान नहीं लिया ।
- XI. हमारी राय में, और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, साल के दौरान बैंक या वित्तीय संस्थानों में, अन्य लोगों से लिये गये ऋणों के लिए कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है ।
- XII. कंपनी की बहियों और अभिलेखों के परीक्षण के दौरान जो, भारत में सामान्य रूप से माने जाने वाले लेखा परीक्षा की पद्धतियों के अनुसार है, हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में, हमें न तो किसी धोखे के मामले का पता चला न ही प्रबन्ध मण्डल ने किसी ऐसे मामले की सूचना दी ।

कृते ए जान भोरीश एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन सं 02509S

आर सन्जीवी नारायणन
भागीदार

स्थान : चेन्नै
तारीख : 19.6.2015

अनुबंध “ क ” के अनुबंध 1 (अर्थात लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदेश 2015 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध “क” के खण्ड IX में संदर्भित ।

लेनदार - बाण्ड होल्डर्स के नाम	31.03.15 को बकाया और अतिशोध्य प्रधान राशि (रु हजार में)	31.03.15 को बकाया ब्याज और अतिशोध्य प्रधान राशि (रु हजार में)	प्रति ऋण डिबेंचर्स होल्डर के बारे में अदायगी के लिए देय तारीख
एच पी एफ बाण्ड “अ” श्रृंखला	1211103	4017985	30 जनवरी 1995 यू टी आई बाण्ड के संबंध में 30 जनवरी 1998
यूटीआई फण्ड ब्याज ऋण	85398	427453	पूरी राशि 31 मार्च 2015 को ही वजह से है ।
नकद उधार			
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	1370815	50694524	
सिंडिकेट बैंक	104703	4844479	
इण्डियन ओवरसीज बैंक	239464	8758678	
स्टेट बैंक आफ पटियाला	99129	3153236	
स्टेट बैंक आफ द्रवनकोर	201177	5210843	
इण्डियन बैंक	20085	346393	
केनरा बैंक	35892	1985979	
साख पत्र			
केनरा बैंक	28036	1585729	
इण्डियन बैंक	15556	799692	
सीटी बैंक	36302	341258	
बैंकों से ब्रिज ऋण	769657	29238702	
भा रू बैंक से डी पी जी ऋण	191425	7000021	
अरक्षित ऋण			
कालिन ऋण			
केनरा बैंक	8648	796963	
भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया	108972	4091444	

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, हिन्दुस्तान फ़ोटो फिल्मस मैनुफ़ेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक, भारत की टीका टिप्पणियाँ

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग के अधीन वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबन्ध मण्डल की है। अधिनियम, की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है। दिनांक 19.06.2015 के लेखा परीक्षक रिपोर्ट द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे ऐसा कर चुके हैं ।

मैंने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए, नियंत्रक व भारत के महा लेखा परीक्षक की ओर से हिन्दुस्तान फ़ोटो फिल्मस मैनुफ़ेक्चरिंग कंपनी की वित्तीय बयान की अनपूरक लेखा परीक्षा का संचालन नहीं करने का फैसला किया है और अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अधीन एसी टिप्पणी नहीं बनायी गयी ।

कृते नियंत्रक व भारत के
महा लेखा परीक्षक की ओर से

(जी . सुदरमिनि)

वाणिज्यक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक व
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 10 अगस्त 2015

पिछले दस वर्षों के लिए वित्तीय आंकड़े

	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
उत्पादन	1536.95	1768.22	1761.53	2409.93	2549.80	3992.46	760.94	360.60	15.09	---
विक्रय	1461.41	1459.34	1716.53	2618.48	2625.01	3718.32	1256.38	373.81	124.86	---
निवल लाभ -हानि	-56090.18	-65305.92	-78949.15	-89026.05	-100921.51	115665.42	-135238.95	-156531.99	-182042.26	-216276.71
वृद्धि दर (%)										
- कुल बिक्रि	-15.94	-0.14	17.62	52.54	0.25	41.64	-66.21	-70.25	-66.60	---
- उत्पादन	1.15	15.05	-0.38	36.81	5.80	56.55	-80.94	-52.61	-95.82	---
निवल लाभ (%)										
- कुल बिक्रि	-3838.09	-4475.03	-4599.35	-3399.91	-3844.61	-3110.69	-10764.18	-41874.75	-145797.10	---
निवल मूल्य	349138.34	414444.27	-493093.42	-582019.47	-682840.98	-798406.40	-933645.35	1090177.34	1272219.61	-1488496.32
अंतर निगमित ऋण	3607.00	3607.00	3607.00	3607.00	3607.00	3607.00	3607.00	3607.00	3607.00	3607.00
सकल बलाक (डबल्यू आई पी पूजी वर्जित)	72063.70	72065.78	72078.91	71552.47	71566.57	71566.75	71585.22	71566.75	71577.15	71577.15
सकल बलाक (डबल्यू आई पी पूजी सहित)	72063.70	72065.78	72078.91	71552.47	71566.57	71566.75	71585.22	71566.75	71577.15	71577.15
मालसूचियाँ	1201.94	1617.27	1607.00	1411.14	1417.60	1541.50	942.24	891.17	763.05	748.40
मूल्यहास	3328.61	3323.37	3315.40	3241.61	3212.35	3166.17	3146.92	3147.82	3141.13	3141.13
ब्याज	51595.13	60230.85	71820.89	83014.38	95498.84	111525.07	130242.70	151703.19	177238.16	207584.49

टिप्पणी : जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले साल के आँकड़ों को पुनःवर्गीकृत किया गया है।

10.स्थिर परिसंपत्तियाँ

(रुपये हजार में)

व्यौरे	सकल ब्लॉक			मूल्यह्रास/एमावर्डइशेषण			निवल ब्लॉक		
	01-04-14 को	सलों के दौरान वृद्धि	सल के दौरान कटौतियाँ	31.03.15 को	01-04-14को	साल के लिए	31.03.15 को	31.03.15 को	31.03.14 को
परीवर्तनीय संपत्तियाँ									
भूमि पूर्ण स्वामित्व में व पट्टे पर *	1118	---	---	1118	---	---	---	1118	1118
सडक एवं पहुँच मार्ग									
- पूर्ण स्वामित्व में	2,315	-	-	2,315	1,015	23	1,038	1,277	1,300
- पट्टे पर	239	-	-	239	76	3	80	160	163
भवन	2,49,369	-	-	2,49,369	1,54,572	6,938	1,61,510	87,859	94,797
जल कार्य	58,561	-	-	58,561	47,675	2,653	50,328	8,234	10,886
विद्युत संस्थापन	1,49,515	-	-	1,49,515	1,20,560	6,234	1,26,794	22,720	28,955
संयंत्र और मशीनरी @	66,27,606	-	-	66,27,606	54,03,543	2,97,021	57,00,564	9,27,042	12,24,063
प्रयोगशाला उपकरण	31,341	-	-	31,341	25,710	459	26,169	5,173	5,632
कार्यालय उपकरण	26,568	-	-	26,568	22,807	703	23,510	3,058	3,761
फर्नीचर, जडनार और फिटिंग्स	6,008	-	-	6,008	5,455	67	5,522	486	552
मोटर वाहन	5,074	-	-	5,074	4,688	30	4,718	357	386
चालू वर्ष का समग्र जोड़	71,57,715	-	-	71,57,715	57,86,102	3,14,131	61,00,233	10,57,482	13,71,613
पिछले वर्ष का समग्र जोड़	71,57,715	-	-	71,57,715	54,71,972	3,14,131	57,86,102	13,71,613	16,84,608

* लेखे खाते में तमिलनाडु सरकार से 28.01एकड़ मुफ्त किराए पट्टे पर ली गयी भूमि की कीमत, नाम मात्र कीमत 1 रुपया माना गया है ।

@ निपटाने के लिए रखे हुए 1181हजार रुपये परिसंपत्तियाँ शामिल है ।